

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

MINIMUM WAGES (Across Indian State's)

What is Minimum Wage?

“Minimum Wage” refers to the fair compensation for a fair day's work. It is the minimum amount of remuneration that an employer is legally required to pay an employee for work performed during a specified period, as mandated by law. This page provides the latest notifications of minimum wages as declared by the respective Appropriate Government.

Andaman and Nicobar Island State Minimum Wages (As per Shops and Establishments Act and Factory Notifications) –

This section outlines the minimum wage rates notified by the respective State and Central Governments under the Shops & Establishments Act and Factory Act for effective and compliant wage management.

“Vedika Consultancy”; provides the latest notifications and circulars issued under the Central and respective State Government rules and regulations.

Bihar State's Notifications are presented on the following pages; with effective from 1st October 2016 to 1st October 2025.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2016

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।

पटना, दिनांक- 30-9-16

एस0 ओ0— दिनांक— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
फरवरी, 2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
मार्च, 2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
अप्रैल, 2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
मई, 2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
जून, 2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
योग :-			37137.71

औसत :- $37137.71 \div 6$
= 6189.61

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या - 2778, 2779 दि0 28.09.2011 गजट सं0-558 दि0 29.09.2011	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अलमुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेरस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2016 - 1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

477

उत्

-2-

(26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिकस- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्वैरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि शेल्डिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दि० 01.04.2012 + 01.10.2012+ 01.04.2013 +01.10.2013+01.04.2014+01.10.2014+01.04.2015 +01.10.2015+01.04.2016 से लागू परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2016 से प्रभावी होगी	01.10.2016 से प्रस्तावित कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00+8.00+2.00+8.00 +3.00+9.00 =206.00	3.00	209.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	150.00+8.00+6.00+11.00+9.00+8.00+2.00+9.00+ 3.00 +9.00 =215.00	3.00	218.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	183.00+9.00+8.00+14.00+11.00+9.00+2.00+11.00+4.00 +11.00 = 262.00	4.00	266.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	223.00+11.00+9.00+17.00+13.00+12.00+3.00+13.00 + 5.00 +13.00 = 319.00	4.00	323.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	4134.00+207.00+174.00+316.00+242.00 + 219.00+41.00+248.00+83.00+284.00 = 5912.00	83.00	5995.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2015 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2016 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403 /07 श्र0सं0- 41 833
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
30-9-16.
(अरुण कुमार नं०-1)
अवर सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2016 - 2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 30-9-16

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार
30-9-16.
(अरुण कुमार नं0-1)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January,2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
February,2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
March,2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
April,2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
May,2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
June,2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
Total			37137.71
Average :-			37137.71 ÷ 6 = 6189.61

F/-M.W. V.D.A from 01-10-2016 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 4 -

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69-General Work	Notification No- 2778, 2779 dated- 28.09.2011 Gazette No.- 558 dated- 29.09.2011	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,
Nursing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

F/-M.W. V.D.A from 01-10-2016 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 5 -

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	Minimum Wage Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.2012+01.04.2013 + 01.10.2013+01.04.2014+01.10.2014 +01.04.2015+01.10.2015+01.04.2016 (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2016	Total rates of wages effective from the date 01.10.2016 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00+8.00+2.00+8.00 +3.00+9.00 =206.00	3.00	209.00 Perday
2.	Semi skilled	150.00+8.00+6.00+11.00+9.00+8.00+2.00+9.00+ 3.00 +9.00 =215.00	3.00	218.00 Perday
3.	Skilled	183.00+9.00+8.00+14.00+11.00+9.00+2.00+11.00+4.00 +11.00 = 262.00	4.00	266.00 Perday
4.	Highly Skilled	223.00+11.00+9.00+17.00+13.00+12.00+3.00+13.00 + 5.00 +13.00 = 319.00	4.00	323.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	4134.00+207.00+174.00+316.00+242.00 + 219.00+41.00+248.00+83.00+284.00 = 5912.00	83.00	5995.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June,2016** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2016** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R-⁴¹⁸³)
By the order of the Governor of Bihar,

^{24/9/16}
30-9-16.
(Arun Kumar No.-1)
Under Secretary.

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2016 - 5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

479

-6-

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4184

पटना, दिनांक-

30-9-16

प्रतिलिपि :- प्रमारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अरुण

30-9-16

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4184

पटना, दिनांक-

30-9-16

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कू0श्र0सहित) निदेशक, कू0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अरुण

30-9-16

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4184

पटना, दिनांक-

30-9-16

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

अरुण

30-9-16

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4184

पटना, दिनांक-

30-9-16

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरुण

30-9-16

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st December 2016

बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948)
की धारा-5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप
धारा-(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम
की धारा-5 की उप धारा-1 के खण्ड-(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी
अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद से भी परामर्श
करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ
कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-3822, 3823
दिनांक-06.09.2016 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा
कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ-3 में उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 में तत्संबंधी
प्रतिवस्तियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण
बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतये
होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की
उप- धारा (1) के खण्ड-(III) के अन्तर्गत होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से प्रभावी होगी।

अनुसूची-1

क्र०

सं० अनुसूचित नियोजनों का नाम

1. कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर
2. अल्मुनियम उद्योग
3. खंडसारी उद्योग
4. केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग
5. साबुन निर्माण उद्योग
6. सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग
7. एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग
8. ग्लास शीट निर्माण
9. बन्दूक करखाने
10. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
11. पेपर उद्योग
12. लौण्ड्रीज एंड वासिंग
13. होजियरी निर्माण
14. सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग
15. चर्म वस्तु निर्माण
16. उड वर्क्स फर्नीचर

D.-Minimum Wage Revision December 2016-1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2

17. आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स
18. पेट्रोल एवं डिजल पम्पस
19. फिशरीज
20. खादी एवं ग्राम उद्योग
21. प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी
22. जिल्दसाजी उद्योग-
23. दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड, कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
24. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
25. सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
26. प्लाईउड उद्योग
27. बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग
28. ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग
29. रबड एवं कम्पाउंड उद्योग
30. बिस्कुट उद्योग
31. कोल ब्रिकेट उद्योग
32. सिलाई उद्योग-
33. हैंडलूम उद्योग-
34. निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स-
35. डिस्ट्रीलरीज-
36. प्लास्टिक उद्योग-
37. मिनरल ग्राईडिंग उद्योग
38. शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर)
39. डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश-
40. स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
41. चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-
42. चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल-
43. तेल मिल -
44. मुद्रणालय-
45. किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान-
46. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-
47. ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले-
48. कोल्ड स्टोरेज-
49. लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50से कम कामगार नियोजित करने वाले)-
50. बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य-
51. सड़कों के निर्माण या अनुदक्षण अथवा निर्माण कार्य-
52. बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज-
53. पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें -
54. होटल, भोजन गृह एवं रेस्तरांओं-
55. अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)- कारखाना एवं प्रतिष्ठान
56. सिनेमा उद्योग-

D. -Minimum Wage Revision December 2016-2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

3

57. किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान—
58. प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी—
59. रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सैरामिक्स उद्योग—
60. पौट्रीज—
61. ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शाप्स—
62. हार्ड कोक भट्टे—
63. कुरियर सेवा
64. चूड़ा मिल
65. इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फिनिशिंग उद्योग
66. अभियंत्रण उद्योग (50से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
67. लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
68. जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य
69. सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक 01.04.2016 तक देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल (3+4)	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक- 01.12.16 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	144.00	62.00	206.00	30.90=31.00	237.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	150.00	65.00	215.00	32.25=32.00	247.00 प्रतिदिन
3	कुशल	183.00	79.00	262.00	39.30=39.00	301.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	223.00	96.00	319.00	47.85=48.00	367.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	4134.00	1778.00	5912.00	886.80=887.00	6799.00 प्रतिमाह

टिप्पणी :- (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 6090.00 जो वर्ष, 2015 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।

D.-Minimum Wage Revision December 2016-3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

4

(ख) दिनांक 23.11.2016 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 43% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में 26 से गुणा करके किया जायेगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(छ) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(ज) यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सूची में 69 नियोजनों में कामगारों को पाँच कोटि में बाँट कर एक ही अधिसूचना निर्गत किया जाय।

स्पष्टीकरण :- (क) अकुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी नहीं कुशलता या अनुभव की आवश्यकता होती है बल्कि वह बहुत ही साधारण प्रकृति का होता है।

(ख) अर्द्धकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें काम के अनुभव के आधार पर कुछ डिग्री या कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है तथा इसके अर्न्तगत अकुशल पर्यवेक्षण का काम भी है।

(ग) कुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें कोई कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यवसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके सम्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है।

D: -Minimum Wage Revision December 2016-4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

5

(घ) अतिकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यावहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्तियाँ की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन के लिए कामगारों में विशेष या विनिश्चयों के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है।

(सं०-5/एम०डब्लू०-403/07 श्र०सं०-
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

२९.११.१६
(अरुण कुमार नं०-01)
अवर सचिव।

एस० ओ०- दिनांक- का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०-5/एम०डब्लू०-403/07 श्र०सं०-
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

२९.११.१६
(अरुण कुमार नं०-01)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O. In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section- 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section- 2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no.-3822, 3823 dated 06.09.2016 for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns- 3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column- 2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said employment.

2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.

3. This notification shall come into force with effect from the date of 01 December, 2016.

D. -Minimum Wage Revision December 2016-5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

6

Schedule-1

Sl. No.	<u>Name of Scheduled Employments</u>
1-	Co-operative Sector
2-	Aluminum Industry
3-	Khandsari industry
4-	Chemical and Pharmaceutical Industry
5-	Soap Making Industry
6-	Cement Pre - stressed product Industry
7-	Asbestos Cement Industry
8-	GlassSheet Industry
9-	Gun factories
10-	Religious & Social Institution
11-	Paper Industry
12-	Laundry & washing
13-	Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw
14-	Manufacture of Sindur & Rang
15-	Manufacture of Leather good
16-	Wood works & furniture
17-	Ice Cream and Cold Drinks
18-	Petrol and Diesel Pump
19-	Fisheries
20-	Khadi and Village Industries
21-	Private Ferries & LTC
22-	Book binding Industry
23-	Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.
24-	Electronics Industry
25-	Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry
26-	Plywood Industries
27-	Electric and other type of Bulbs and Florence tubes
28-	Foundry Industries
29-	Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture
30-	Biscuit Industry
31-	Coal briquette Industry
32-	Tailoring Industry
33-	Handloom Industry
34-	Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic
35-	Distilleries
36-	Plastic Industries
37-	Mineral Grinding Industry-

D:-Minimum Wage Revssion December 2016-6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

7

38. Glass Industries (excluding glass sheet)
- 39- Dairies and Poultry Farms
- 40- Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.
- 41- Tanneries Leather Technology
- 42- Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills
- 43- Oil Mills
- 44- Printing Press
- 45- Any Shops and establishment
- 46- Public Motor Transport
- 47.- Any woolen carpet making or shawl weaving establishment.
- 48- Coal Storage
- 49- Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)
- 50- Dam Construction & Irrigation
- 51- Construction or Manufactory of Road or in Building Construction
- 52- Bakeries and Confectioneries
- 53- Shops selling cooked food stuff
- 54- Hotels Eating House and Restaurants.
- 55- Mica work(Factory & Establishment excluding Mine)
- 56- Cinema industry
- 57- Any University, Educational, Research or cultural institutions.
- 58- Private Security
- 59.- Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry
- 60- Potteries
- 61- Automobile Engineering Shops
- 62- Hard Coke Industry
- 63- Currier Service
- 64- Frittered Rice
- 65- Electro Casting and Metal Furnishing
- 66- Engineering Industries (Employment more than 50 workers)
- 67- Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc.,works
- 68- Jute Industry & Similar works
- 69- Information Technology.

D:-Minimum Wage Revision December 2016-7

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

8

Schedule-II

Sl No.	Categories of Workers	Existing Minimum Rates of Wages	V.D.A Payable on 01.04.2016	Total (3+4)	15% Revision Benefit	Fixed Minimum Rates of Wages w.e.f 01.12.16
1	2	3	4	5	6	7
1	Unskilled	144.00	62.00	206.00	30.90=31.00	237.00 Perday
2	Semi skilled	150.00	65.00	215.00	32.25=32.00	247.00 Perday
3	Skilled	183.00	79.00	262.00	39.30=39.00	301.00 Perday
4	Highly Skilled	223.00	96.00	319.00	47.85=48.00	367.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	4134.00	1778.00	5912.00	886.80=887.00	6799.00 Permonth

Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 6090.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2015 (July-December)

(b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.11.16 by adding 15% additional after the 43% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.

D. -Minimum Wage Revision December 2016-8

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

9

(e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

(g) It has been also decided that the only one notification should be used by dividing employees of 69 employment under five categories.

Explanation :-

(a) "Unskilled work" means work which involve simple operations , requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers.

(c) "Skilled works" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

(d) "Highly Skilled" work means work which call for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for long years and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.

(No.-5/M.W-403/07 L & R - 49.7/)

By order of the Governor of Bihar,

29.11.16
(Arun Kumar No.-01)

Under Secretary.

D:-Minimum Wage Revision December 2016-9

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

10

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4972

पटना, दिनांक- 29-11-16

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अरूण

29-11-16

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4972

पटना, दिनांक- 29-11-16

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कू0श्र0सहित) निदेशक, कू0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाणिज्य निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाणिज्य निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अरूण

29-11-16

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4972

पटना, दिनांक- 29-11-16

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना / उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

अरूण

29-11-16

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

4972

पटना, दिनांक- 29-11-16

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरूण

29-11-16

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2017

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना।

पटना, दिनांक- 28.3.17

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,2016	280	4.63 X4.93	6391.25
अगस्त,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
सितम्बर,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
अक्टूबर,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
नवम्बर,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
दिसम्बर,2016	275	4.63 X4.93	6277.12
योग :-			38005.11

औसत :- $38005.11 \div 6$
= 6334.18

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -दिनांक-गजट सं0-दि0-	कुल अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य	4971, 4972 29.11.2016 1020 दि0-30.11.2016	69

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्डीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग

F:-M.W. V.D.A from 01-04-2017 - 1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिकस- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम काननगर नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ट्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) ऑटोमोबाइल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोल्डिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2017 से प्रभावी होगी	01.04.2017 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00	5.00	242.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00	5.00	252.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00	6.00	307.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00	7.00	374.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00	136.00	6935.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2016 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2017 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्ल्यू0-403 /07 श्र0सं0-1193
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अरुण
28-3-17-
(अरुण कुमार नं०-1)
अवर सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

28.3.17

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 प्र0सं0-
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.17
(अरुण कुमार नं0-1)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated- 28.3.17

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2016	280	4.63 X4.93	6391.25
August,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
September,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
October,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
November,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
December,2016	275	4.63 X4.93	6277.12
Total			38005.11
Average :-			38005.11 ÷ 6 = 6334.18

F:/M.W. V.D.A from 01-04-2017 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 4 -

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69-General Work	Notification No-4971, 4972 dated- 29.11.2016 Gazette No.- 1020 dated- 30.11.2016	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,
Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

F/-M.W. V.D.A from 01-04-2017 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 5 -

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated-01.12.2016 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2017	Total rates of wages effective from the date 01.04.2017 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00	5.00	242.00 Perday
2.	Semi skilled	247.00	5.00	252.00 Perday
3.	Skilled	301.00	6.00	307.00 Perday
4.	Highly Skilled	367.00	7.00	374.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	6799.00	136.00	6935.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July-December,2016 will be payable at the aforesaid rates from April,2017 and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R- 1193)
By the order of the Governor of Bihar,

28-3-17
(Arun Kumar No.-1)
Under Secretary.

F:/M.W. V.D.A from 01-04-2017 - 5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

1194

पटना, दिनांक- 28.3.17

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अरुण

28.3.17

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

1194

पटना, दिनांक- 28.3.17

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कू0श्र0सहित) निदेशक, कू0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अरुण

28.3.17

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

1194

पटना, दिनांक- 28.3.17

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

अरुण

28.3.17

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0-

1194

पटना, दिनांक- 28.3.17

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरुण

28.3.17

(अरुण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2017

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।

एस0 ओ0- दिनांक- पटना, दिनांक- 15.9.17
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
फरवरी, 2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
मार्च, 2017	275	4.63 X 4.93	6277.12
अप्रैल, 2017	277	4.63 X 4.93	6322.77
मई, 2017	278	4.63 X 4.93	6345.60
जून 2017	280	4.63 X 4.93	6391.25
योग :-			37845.34

$$\text{औसत} - 37845.34 \div 6 = 6307.55$$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -दिनांक- गजट सं0-दि0-	कुल अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य	1193, 1194 28.03.2017 254 दि0-30.03.2017	69

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्री एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राइवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2017 - 1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलार्ड उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग- (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिकस- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ड्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं- (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट- (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज- (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)- कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिकस उद्योग- (60) पौट्रीज- (61) ऑटोमोबाइल इजिनियरिंग शोप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे- (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोल्डिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2017 से प्रभावी होगी	01.10.2017 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00=242.00	5.00	247.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00=252.00	5.00	257.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00=307.00	6.00	313.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00=374.00	7.00	381.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00=6935.00	139.00	7074.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2017 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2017 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्ल्यू0-403/07 श्र0सं0-4835)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 15-9-17

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-4836)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15-9-2017
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated- 15-9-17

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January,2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
February,2017	274	4.63 X 4.93	6254.30
March,2017	275	4.63 X 4.93	6277.12
April,2017	277	4.63 X 4.93	6322.77
May,2017	278	4.63 X 4.93	6345.60
June,2017	280	4.63 X 4.93	6391.25
Total			37845.34
Average :-			37845.34 ÷ 6 = 6307.55

F/-M.W. V.D.A from 01-J0-2017 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 4 -

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69-General Work	Notification No- 1193, 1194 dated- 28.3.2017 Gazette No.- 254 dated- 30.3.2017	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,
Nursing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

F:/M.W. V.D.A from 01/10-2017 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 5 -

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated-01.12.2016+01.04.2017 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2017	Total rates of wages effective from the date 01.10.2017 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00=242.00	5.00	247.00 Perday
2.	Semi skilled	247.00+5.00=252.00	5.00	257.00 Perday
3.	Skilled	301.00+6.00=307.00	6.00	313.00 Perday
4.	Highly Skilled	367.00+7.00=374.00	7.00	381.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00=6935.00	139.00	7074.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January-June,2017 will be payable at the aforesaid rates from October,2017 and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R- 4835)
By the order of the Governor of Bihar,

15/09/2017
(Mohan Rajak)
Under Secretary.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-6-

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

4836

पटना, दिनांक- 15-9-17

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

15-9-2017
(मोहन रजक)

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

4836

पटना, दिनांक-

अवर सचिव ।
15-9-17

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कू0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कू0श्र0सहित) निदेशक, कू0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15-9-2017
(मोहन रजक)

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

4836

पटना, दिनांक-

अवर सचिव ।
15-9-17

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

15-9-2017
(मोहन रजक)

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

4836

पटना, दिनांक-

अवर सचिव ।
15-9-17

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15-9-2017
(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2017 - 6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2018

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।**

पटना, दिनांक- 28.3.18

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर,,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
योग :- 39169.22			

$$\text{औसत} - 39169.22 \div 6 = 6528.20$$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -4835, 4836 दिनांक- 15.09.2017 गजट सं0-858 दि0-19.09.2017	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

- (1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग

F:/M.W. V.D.A from 01-04-2018 - 1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ड्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00=7074.00	212.00	7286.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2017 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2018 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403 / 07 श्र0सं0-1453)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

गोठ
28/03/2018
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 01-04-2018 - 2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

28-3-18

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-1454)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मोहन रजक)

अंगर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

28-3-18

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
August,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
September,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
October,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
November,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
December,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
Total			39169.22
Average :-			39169.22 ÷ 6 = 6528.20

F/-M.W. V.D.A from 01-04-2018 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 4 -

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69-General Work	Notification No- 4835, 4836 dated- 15.09.2017 Gazette No.- 858 dated- 19.09.2017	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,
Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

F./-M.W. V.D.A from 01-04-2018 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 5 -

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2018	Total rates of wages effective from the date 01.04.2018 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 Perday
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 Perday
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 Perday
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00=7074.00	212.00	7286.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2017** will be payable at the aforesaid rates from **April,2018** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R- 1453)
By the order of the Governor of Bihar,

28/03/2018
(Mohan Rajak)
Under Secretary.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1454 पटना, दिनांक- 28-3-18
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1454 पटना, दिनांक- 28-3-18
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1454 पटना, दिनांक- 28-3-18
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1454 पटना, दिनांक- 28-3-18
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2018

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।**

पटना, दिनांक-

26-9-18

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंग फ़ैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2018	288	4.63 X 4.93	6573.85
फरवरी, 2018	287	4.63 X 4.93	6551.03
मार्च, 2018	287	4.63 X 4.93	6551.03
अप्रैल, 2018	288	4.63 X 4.93	6573.85
मई, 2018	289	4.63 X 4.93	6596.68
जून, 2018	291	4.63 X 4.93	6642.33
योग :-			39488.77

औसत - $39488.77 \div 6 = 6581.46$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -1453, 1454 दिनांक- 28.03.2018 गजट सं0-306 दि0-03.04.2018	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य		69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अलुमिनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेज प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वॉशिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रिम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिकस- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ड्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.10.2018 से प्रभावी होगी	01.10.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00=254.00	3.00	257.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00=265.00	3.00	268.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00=322.00	3.00	325.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00=392.00	4.00	396.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00=7286.00	73.00	7359.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2018 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2018 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403 /07 श्र0सं0-6769)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मोहन रंजक)
अवर सचिव।
26.1.18

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अधिसूचना

पटना, दिनांक-26-9-18

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-6779)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26-9-18
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated- 26-9-18

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2018	288	4.63 X 4.93	6573.85
February, 2018	287	4.63 X 4.93	6551.03
March, 2018	287	4.63 X 4.93	6551.03
April, 2018	288	4.63 X 4.93	6573.85
May, 2018	289	4.63 X 4.93	6596.68
June, 2018	291	4.63 X 4.93	6642.33
Total			39488.77
Average :-			39488.77÷6 = 6581.46

F/-M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 4 -

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69-General Work	Notification No- 1453, 1454 dated- 28.03.2018 Gazette No.- 306 dated- 03.04.2018	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,
Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

- 5 -

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+01.04.2018 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2018	Total rates of wages effective from the date 01.10.2018 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	$237.00+5.00+5.00+7.00=254.00$	3.00	257.00 Perday
2.	Semi skilled	$247.00+5.00+5.00+8.00=265.00$	3.00	268.00 Perday
3.	Skilled	$301.00+6.00+6.00+9.00=322.00$	3.00	325.00 Perday
4.	Highly Skilled	$367.00+7.00+7.00+11.00=392.00$	4.00	396.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	$6799.00+136.00+139.00+212.00$ $=7286.00$	73.00	7359.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January-June,2018 will be payable at the aforesaid rates from October,2018 and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R- 6769)
By the order of the Governor of Bihar,

(Mohan Rajak)
Under Secretary.

27/10/18
26.9.18

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 6770 -6-
पटना, दिनांक- 26-9-18
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्ञापक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 6770
पटना, दिनांक- 26-9-18
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ज्ञापक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 6770
पटना, दिनांक- 26-9-18
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

ज्ञापक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 6770
पटना, दिनांक- 26-9-18
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2019

निबंधन संख्या पी०टी०-४०



बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन 1940 (श०)

(सं० पटना 290) पटना, बुधवार, 27 फरवरी 2019

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

26 फरवरी 2019

एस० ओ० 39 दिनांक 27 फरवरी 2019—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुसूची अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
अगस्त, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
सितम्बर, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
अक्टूबर, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
नवम्बर, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
दिसम्बर, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
योग :- 41269.20			

औसत - $41269.20 \div 6 = 6878.20$

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2

बिहार गजट (असाधारण), 27 फरवरी 2019

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -6769, 6770 दिनांक 26.09.2018 गजट सं0-888 दि028.09.2018	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेज प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गल्ला पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राइडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ओटोमोवाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक 01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी	01.04.2019 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00=257.00	11.00	268.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00=268.00	11.00	279.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00=325.00	15.00	340.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00=396.00	19.00	415.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/ लिपि कीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00=7359.00	324.00	7683.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2018 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2019 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

विहार गजट (असाधारण), 27 फरवरी 2019

3

स्पष्टीकरण – अधिसूचना के प्रयोजनार्थ

- (क) राज्य सरकार कामगारों के उन्नयन का आधार निम्न रूपेण निर्धारित करती है, जैसे –
- (i) किसी कोटि (अकुशल एवं अर्द्धकुशल) में पाँच या पाँच वर्षों से अधिक तक का कार्य अनुभव होने पर, कामगार को उस कोटि से तत्काल ऊपर की कोटि में उन्नत माना जायेगा तथा कामगार को उन्नत कोटि के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर कोई कामगार पाँच या पाँच वर्षों से अधिक अकुशल कामगार के रूप में कार्य किया हो तो वह अर्द्धकुशल कामगार के न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा। इसी प्रकार अर्द्धकुशल कोटि के कामगार भी पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव होने पर अपनी कोटि से तत्काल ऊपर की कोटि में उन्नत माने जायेंगे।
परंतु कुशल से ऊपर कोटि में उन्नयन हेतु प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
- (ii) अगर किसी कामगार ने National Skill Qualification Framework (NSQF) संबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा कामगार के प्रमाण-पत्र में उनके द्वारा प्राप्त स्तर (Level) का उल्लेख हो तो उस कामगार को उनके द्वारा प्राप्त स्तर (Level) के अनुसार निम्न रूपेण विभिन्न कोटियों में कोटिबद्ध किया जाता है—
स्तर (Level)-1 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अकुशल माना जायेगा।
स्तर (Level)-2 एवं 3 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अर्द्धकुशल माना जायेगा।
स्तर (Level)-4 एवं 5 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को कुशल माना जायेगा।
स्तर (Level)-6 एवं 7 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अतिकुशल कामगार माना जायेगा।
स्तर (Level)-8, 9 एवं 10 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को पर्यवेक्षीय या लिपिकीय माना जायेगा।
ऐसे कामगार जिन्होंने National Skill Qualification Framework (NSQF) के अन्तर्गत किसी कोटि का स्तर (Level) प्राप्त किया हो एवं उस स्तर पर उनके द्वारा पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव हो तो उन्हें अगली कोटि में उन्नत माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप—अगर कोई कामगार स्तर (Level)-2 अथवा स्तर (Level)-3 के अन्तर्गत अर्द्धकुशल कामगार है एवं उनके द्वारा अर्द्धकुशल कामगार के रूप में पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त कर लिया गया है तो उसे कुशल कामगार की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- (iii) अगर किसी कामगार ने किसी केन्द्र/राज्य अधिनियम अथवा नियमावली के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो वह कामगार प्राप्त प्रशिक्षण के पश्चात् धारित योग्यता के अनुसार अर्द्धकुशल अथवा कुशल कोटि के न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा।
- (ख) राज्य सरकार निम्न रूपेण विभिन्न कोटियों में कामगारों का वर्गीकरण करती है। यह वर्गीकरण नितांत उदाहरणस्वरूप है तथा यह कार्य की प्रकृति के अनुसार घट अथवा बढ़ सकता है—

अकुशल

बजरी (गिट्टी/छर्सी) फैलाने वाला, बेलदार, बाल्टी वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहक, केयरटेकर (पुल), सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफादार, गाड़ीवान (बैल, ऊँट, गधा, खच्चर), श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, पेट्रोलमैन, तलाशीकर्ता, स्वीपर, वाचमैन, घास काटनेवाला या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी कुशलता या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाए।

अर्द्धकुशल

भिश्ति (मूशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक (चट्टान, पत्थर प्रस्तर धातु, पत्थर), बेंत बुनने वाला, चारपाई कसने वाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र रहित), दपतरी, फायरमैन, फायरमैन (ईंटों का भट्टा, स्टीम रोड रोलर), गेटकीपर, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), श्रमिक (चट्टानकर्तन), फिटर गैंग, खलासी, टर्नर, मजदूर (भारी वजन), रात्रिगार्ड, सहायक चाय बनाने वाला, परोसने वाला, (सर्विस मैन), बैरा, वेटर, भंडारवाला, फिटर (सहायक

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

4

बिहार गजट (असाधारण), 27 फरवरी 2019

अर्द्धकुशल), जमादार (अर्द्धकुशल), पम्प अटेंडेंट, डांडी फराश, सहायक (लोको, क्रेन/ट्रक), खलासी, नाव वाला, मसालची, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़नेवाला) या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों जिनमें कार्य अनुभव/प्रशिक्षण के आधार पर कुछ कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाय।

कुशल

मिस्त्री, लोहार, बायलर मैन, ईट बिछानेवाला, ब्लास्टर, बर्दई, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित), काष्टकार (साधारण), कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, मोची, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर लारी चालक, चालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्रशर, बुलडोजर, रोड रोलर, और क्रेन), चालक (लोको/ट्रक), राजमिस्त्री, स्टोन टाइल फ्लोरिंग मिस्त्री, मोल्डर (ईट, टाइल), पेंटर, नलसाज मिस्त्री, नलसाज-सह-फिटर, पोलिशगर्, पॉलिशगर् (फर्श), पम्प चालक, सहायक (वातानुकूल परिचालक), स्टोनकटर, दर्जी, दर्जी (अपहोजरी), ठठेरा, सोफाकाज, रंगसाज, रसोइया (प्रधान), बिजली मिस्त्री, यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (ट्यूब-वेल, टेलीफोन), मीटर रीडर, मौसम प्रेक्षक, बावर्ची, कारीगर, हलवाई, महाराज, सहायक महाराज, सहायक रसोइया, रोटी कारीगर, आईस्क्रीम मिस्त्री, डोसा मास्टर, प्रधान वेटर, प्रधान बेरा या कुशल प्रकृति का कोई अन्य प्रवर्ग, जिनमें कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके निष्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है, उनके नाम कुछ भी हों।

अतिकुशल

बायलरमैन, केबल संयोजक, मैकेनिक (वातानुकूलन), ओवरसियर, सड़क निरीक्षक, उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त), वेल्डर एवं फिटर, वायर मैन, वातानुकूल परिचालक, चित्रकार, प्रधान बावर्ची, प्रधान खानसामा, प्रधान महाराज, प्रधान कारीगर या कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति का हों, जिनमें सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री तथा पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इनके निष्पादन हेतु कामगारों में विवेक या विनिश्चय के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।

लिपिकीय/पर्यवेक्षकीय

लिपिक, मुंशी (न्यूनतम मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट), भंडार रक्षक (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, बुक कीपर, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ) लेखालिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, बुकिंग क्लर्क, टंकक या अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो कि लिपिकीय अथवा पर्यवेक्षकीय प्रकृति के हों।

उपरोक्त दरें 01 अप्रैल, 2019 से अगले आदेश तक प्रभावी होंगी

(सं० 5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-996)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक,

अवर सचिव ।

26 फरवरी 2019

एस0 ओ0 40, एस0 ओ0 39 दिनांक 27 फरवरी 2019 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं० 5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-997)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक,

अवर सचिव ।

The 26th February 2019

S.O. 39 Dated 27th February 2019— In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 27 फरवरी 2019

5

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No. Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
August, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
September, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
October, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
November, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
December, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
Total			41269.20
Average :-41269.20÷6 = 6878.20			

SCHEDULE-I(B)

Name of employment	Notification No- 6769, 6770 Dated 26.09.2018 Gazette No.- 888 Dated 28.09.2018	Total
69 Employment -General Work		69 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electrocasting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

6

बिहार गजट (असाधारण), 27 फरवरी 2019

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+01.04.2018+ 01.10.2018 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2019	Total rates of wages effective from the date 01.04.2019 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00=257.00	11.00	268.00 Per day
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00=268.00	11.00	279.00 Per day
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00=325.00	15.00	340.00 Per day
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00=396.00	19.00	415.00 Per day
5.	Supervisory/ Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00 =7359.00	324.00	7683.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/ revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/ revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December, 2018** will be payable at the aforesaid rates from **01st April, 2019** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

Explanation - For the purpose of this notification

- (A) The State Government prescribed the following base for upgradation of workers in next category-
- (i) If a worker of any category (Unskilled and Semi-Skilled) has attain a working experience of five (5) or more than five (5) year in that particular category then he will be upgraded to the next immediate category and will be paid minimum wage of that upgraded category. For example, if a worker is working as unskilled worker for five (5) or more year then he/she will be entitled for the minimum wage of semi-skilled worker. Similarly semiskilled worker will be entitled for minimum wage of skilled worker after working for five (5) or more than five (5) year as semi-skilled worker.
However, for upgradation above skilled category, certification is necessary.
- (ii) If a worker has attain any skill training allied through National Skill Qualification Framework (NSQF) and on his/her certificate, the level which he/she attain is mentioned, then following will be the categorization of levels which he/she is entitled-
- The worker holding the certificate of qualification level 1 will be considered as unskilled.
The worker holding the certificate of qualification level 2 and level 3 will be considered as semi-skilled.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 27 फरवरी 2019

7

The worker holding the certificate of qualification level 4 and 5 will be considered as skilled.

The worker holding the certificate of qualification level 6 and 7 will be considered as highly skilled.

The worker holding the certificate of qualification level 8, 9 and 10 will be considered as Supervisory or Clerical.

If a worker has attain any category as per the National Skill Qualification Framework (NSQF) levels and he/she has work experience of five or more than five years on that particular category then he/she will be upgraded to the next category. For example, if worker is semi-skilled as per level 2 or level 3 and he/she has attain work experience of five or more than five years as semi-skilled then he she will be consider as skilled worker and will be paid minimum wage of skilled worker.

(iii) If a worker has attain any training as per the provision of Central/State Act or Rule, then he/she will be entitled for the minimum wages of semi-skilled or skilled category and will be as per the merit which he/she holds after training.

(B) The State Government Categorizes the different type of worker as per the following. The categorization is only for example and can be increase or decrease as per the nature of work-

Unskilled

Bajri (Stone Chips) Spreader, Beldar, Bucket Man, Carrier (stone), Carrier (water), Cart man, Caretaker (bridge), Cleaner, Chokidar, Concrete (hand mixer), Daffadar, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), labourer (garden), Mazdoor, Hole cutter, Petrol man, Searcher, Sweeper, Watchman, Grass cutter or any other worker by whatever name so called and the execution of work requires no or some skill or experience.

Semi Skilled

Bhisti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker (stone, rock, rock stone, stone, metal), Cane weaver, Charpoy-Stringer, Security Guard (with out arms), Daftri, Fireman, Fireman (brick kiln, steam road roller), Gatekeeper, Helper (artisan), Helper (Sawyer), Labourer (Rock-cutting), Fitter Gang, Khalasi, Turner, Labourer (heavy weight), Night Guard, Assistant Tea Maker, Service man, Waiter, Bhandarwala, Fitter (Assistant Semi-skilled), Jamadar (Semi-Skilled), Pump attendant, Dandi Frash, Helper (loco, crane/truck), Boat man, Masalchi, Topkar (big stone breaker) or any other worker by whatever name so called and the execution of work require some skill or capacity, acquired either through experience or some training and which is done under the supervision of skilled worker.

Skilled

Mistry, Blacksmith, Boiler man, Brick layer, Blaster, Carpenter, Security guard (with arms), Carpenter (ordinary), Concrete mixture mixer, Cobbler, Driver, Driver Motor Vehicle, Driver (engine static, stone crusher, bulldozer, road roller and crane), Driver (loco/truck), Mason, Stone tile flooring mistry, Moulder (brick, tile), Painter, Plumber, Plumber-cum-Fitter, Polisher, Polisher (floor), Pump driver, Assistant (air-conditioning), Stonecutter, Tailor, Tailor (upholstery), Copper Smith, Sofa maker, Colour Washing man, Chef (head), Confectioner, Electrician, Mechanic (head), Mistry (tube-well, telephone), Meter reader, Weather observer, Cook, Artisan, Assistant Confectioner, Roti maker, Ice cream maker, Dosa master, Chief waiter, Chief Baira or any other worker whatever name so called and the execution of work requires skill, acquired by means of experience or by training in any vocational institute and also requires pro-activeness and patience for disposal of work.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

8

बिहार गजट (असाधारण), 27 फरवरी 2019

Highly Skilled

Cable joiner, Mechanic (air-conditioner), Overseer, Road Inspector, Sub Overseer (Qualified) Welder and fitter, Wireman, Colour Artist, Head

Khansama, Head Cook, Head Maharaj, Head Artisan or any other worker by whatever name so called, which perform work of highly skilled nature and require intensive vocational or technical training, or long practical work experience apart from patience, decision making and responsible action.

Clerical/Supervisor

Clerk, Munshi (Matriculate), Store clerk (Matriculate), Store Keeper (Matriculate), Time Keeper, Book Keeper, Work Munshi (Subordinate) Account Clerk, Telephone Operator, Computer Operator, Booking clerk, Typist or any other worker by whatever name so called and the execution of work are of clerical or supervisory nature.

The above mentioned rates will be applicable from 01 April, 2019.

(No- 5/M.W- 403/09 L&R- 996)

By the order of the Governor of Bihar,
MOHAN RAJAK,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 290-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2019

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (शुक्र)
(सं० पटना 1116) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2019

एस0 ओ0 379, दिनांक 30 सितम्बर 2019—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील महगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2019	307	4.63 X 4.93	7007.55
फरवरी, 2019	307	4.63 X 4.93	7007.55
मार्च, 2019	309	4.63 X 4.93	7053.20
अप्रैल, 2019	312	4.63 X 4.93	7121.68
मई, 2019	314	4.63 X 4.93	7167.33
जून, 2019	316	4.63 X 4.93	7212.98
योग :-			42570.29

वर्ष 2019 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत - 42570.29 ÷ 6

= 7095.05

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2

बिहार गजट (असाधारण), 30 सितम्बर 2019

अनुसूची- I (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या - 996, 997 दिनांक- 26.02.2019 गजट सं0-290 दि0-27.02.2019	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेन्ट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौहरीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राइवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड, एक्सट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग (25) सिमेन्ट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग- (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं- (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट- (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज- (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोडकर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोडकर)- कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग- (60) पौट्रीज- (61) ओटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौष- (62) हार्ड कोक भट्टे- (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारिस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2019 से प्रभावी होगी	01.10.2019 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00=268.00	9.00	277.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00=279.00	10.00	289.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00=340.00	12.00	352.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00=415.00	14.00	429.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00=7683.00	272.00	7955.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2019 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2019 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 30 सितम्बर 2019

3

महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं०-5/एम०डब्ल्यू०-403/07 अ०सं०-4076)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव।

27 सितम्बर 2019

एस० ओ० 380, एस० ओ० 379, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०-5/एम०डब्ल्यू०-403/07 अ०सं०-4077)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव।

The 27th September 2019

S.O. 379 dated the 30th September 2019--- In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January,2019	307	4.63 X 4.93	7007.55
February,2019	307	4.63 X 4.93	7007.55
March,2019	309	4.63 X 4.93	7053.20
April,2019	312	4.63 X 4.93	7121.68
May,2019	314	4.63 X 4.93	7167.33
June,2019	316	4.63 X 4.93	7212.98
Total			42570.29
		Average :-	42570.29 ÷ 6 = 7095.05

SCHEDULE-I(B)

Name of employment	Total
69-General Work	69 Scheduled Employment
Notification No- 996, 997 dated- 26.02.2019 Gazette No.- 290 dated- 27.02.2019	

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

4

बिहार गजट (असाधारण), 30 सितम्बर 2019

Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory & Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University, Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security (59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+01.04.2018+ 01.10.2018+01.04.2019 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2019	Total rates of wages effective from the date 01.10.2019 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+ 11.00=268.00	9.00	277.00 Perday
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+ 11.00=279.00	10.00	289.00 Perday
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+ 15.00=340.00	12.00	352.00 Perday
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4. 00+19.00=415.00	14.00	429.00 Perday
5.	Supervisory/ Clerical	6799.00+136.00+139.00+212. 00+73.00+324.00=7683.00	272.00	7955.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 30 सितम्बर 2019

5

of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June,2019** will be payable at the aforesaid rates from **October,2019** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/M-W-403/07 L&R-4076)
By order of the Governor of Bihar,
Mohan Rajak ,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1116-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2020

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।**

पटना, दिनांक- 24.3.2020

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई 2019	319	4.63 X 4.93	7281.46
अगस्त 2019	320	4.63 X 4.93	7304.28
सितम्बर 2019	322	4.63 X 4.93	7349.93
अक्टूबर 2019	325	4.63 X 4.93	7418.41
नवम्बर 2019	328	4.63 X 4.93	7486.89
दिसम्बर 2019	330	4.63 X 4.93	7532.54
			योग:-44373.51

वर्ष 2019 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत -- 44373.51 ÷ 6
= 7395.58

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या - 4076, 4077 दिनांक- 27.09.2019 गजट सं0-1116 दि0-30.09.2019	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग-- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2019 - I

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिकस- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) ऑटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2020 से प्रभावी होगी	01.04.2020 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00=277.00	10.00	287.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00=289.00	10.00	299.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00=352.00	12.00	364.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00=429.00	15.00	444.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00=7955.00	272.00	8227.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर 2019 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2020 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403 /07 श्र0सं0-1049.)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मोहन रजक)

अवर सचिव।

F:-M.W. V.D.A from 01-10-2019 - 2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 24.3.2020

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-1050)
बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मोहन रजक)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2019	319	4.63 X 4.93	7281.46
August,2019	320	4.63 X 4.93	7304.28
September,2019	322	4.63 X 4.93	7349.93
October,2019	325	4.63 X 4.93	7418.41
November,2019	328	4.63 X 4.93	7486.89
Decemeber,2019	330	4.63 X 4.93	7532.54
Total			44373.51
Average :-			44373.51 ÷ 6
			= 7395.58

-4-

F:-M.W. V.D.A from 01-10-2019 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		69- अनुसूचित नियोजन
69-General Work	Notification No- 4076,4077 dated- 27.09.2019 Gazette No.- 1116 dated- 30.09.2019	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,
Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

-5-

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2019 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019+01-10-2019 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2020	Total rates of wages effective from the date 01.04.2020 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00=277.00	9.00	287.00 Perday
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00=289.00	10.00	299.00 Perday
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00=352.00	12.00	364.00 Perday
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00=429.00	15.00	444.00 Perday
5.	Supervisory/ Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00=7955.00	272.00	8227.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December, 2019** will be payable at the aforesaid rates from **April, 2020** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R-1049)
By the order of the Governor of Bihar,

24-03-2020
(Mohan Rajak)
Under Secretary.

-6-

F:-M.W. V.D.A from 01-10-2019 - 5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1050

पटना, दिनांक- 24.3.2020

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1050

पटना, दिनांक- 24.3.2020.

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चेडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/ निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1050

पटना, दिनांक- 24.3.2020.

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्यद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्यद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 1050

पटना, दिनांक- 24.3.2020.

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2020

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।**

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2020	330	4.63 X 4.93	7532.54
फरवरी, 2020	328	4.63 X 4.93	7486.89
मार्च, 2020	326	4.63 X 4.93	7441.24
अप्रैल, 2020	329	4.63 X 4.93	7509.72
मई, 2020	330	4.63 X 4.93	7532.54
जून, 2020	332	4.63 X 4.93	7578.19
योग:-45081.12			

वर्ष 2020 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत - $45081.12 \div 6$
= 7513.52

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या - दिनांक- गजट सं0-218 दि0-27.03.2020	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य	अधिसूचना संख्या - 1049,1050 दिनांक- 24.03.2020 गजट सं0-218 दि0-27.03.2020	69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड आ गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2020 - 1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोसेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग- (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ड्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं- (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट- (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज- (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)- कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग- (60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे- (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोल्डिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018 +01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019+01.04.2020 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2020 से प्रभावी होगी	01.10.2020 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00=287.00	5.00	292.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00=299.00	5.00	304.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00=364.00	6.00	370.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00=444.00	7.00	451.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+ 272.00 =8227.00	136.00	8363.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरें में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हों, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2020 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2020 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403 / 07 श्र0सं0-2619
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
21/9/2020
(सूर्यकांत मणि)
उप सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2020 - 2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-2620)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

mn
21/9/2020
(सूर्यकांत मणि)
उप सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January,2020	330	4.63 X 4.93	7532.54
February,2020	328	4.63 X 4.93	7486.89
March,2020	326	4.63 X 4.93	7441.24
April,2020	329	4.63 X 4.93	7509.72
May,2020	330	4.63 X 4.93	7532.54
June,2020	332	4.63 X 4.93	7578.19
Total			
Average :-			$45081.12 \div 6$ <i>mn</i> = 7513.52

F/-M.W. V.D.A from 01-10-2020 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-4-

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		69- अनुसूचित नियोजन
69-General Work	Notification No- 1049,1050 dated- 24-03-2020 Gazette No.- 218 dated- 27.03.2020	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,
Nursing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory &
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries
(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

F/-M.W. V.D.A from 01-10-2020 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-5-

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated-01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+ 01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019 +01.04.2020 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2020	Total rates of wages effective from the date 01.10.2020 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00=287.00	5.00	292.00 Perday
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00=299.00	5.00	304.00 Perday
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00=364.00	6.00	370.00 Perday
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00=444.00	7.00	451.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00 +272.00 =8227.00	136.00	8363.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January-June,2020 will be payable at the aforesaid rates from October, 2020 and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R-2319)

By the order of the Governor of Bihar,

m m
21/9/2020
(Suryakant Mani)
Deputy Secretary.

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2020 - 5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-6-

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 2620

पटना, दिनांक- 21/09/2020

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(सूर्यकांत मणि)
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 2620

पटना, दिनांक- 21/09/2020

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/ निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(सूर्यकांत मणि)
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 2620

पटना, दिनांक- 21/09/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना / उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

(सूर्यकांत मणि)
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0- 2620

पटना, दिनांक- 21/09/2020

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सूर्यकांत मणि)
उप सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2020 - 6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2021

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक—

एस0 ओ0— दिनांक— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) अगस्त तक (2016=100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2020	336	4.63 X 4.93	7669.50
अगस्त, 2020	338	4.63 X 4.93	7715.15
सितम्बर, 2020	118.1	4.63 X 4.93 X 2.88	7763.72
अक्टूबर, 2020	119.5	4.63 X 4.93 X 2.88	7855.76
नवम्बर, 2020	119.9	4.63 X 4.93 X 2.88	7882.05
दिसम्बर, 2020	118.8	4.63 X 4.93 X 2.88	7809.74
योग :- 46695.92			

वर्ष 2020 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत - $46695.92 \div 6 = 7782.65$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -दिनांक- गजट सं0-दि0-	कुल अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य	-2619, 2620 दिनांक- 21.09.2020 गजट सं0-610 दि0-22.09.2020	69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वक्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची –II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक— 01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017 + 01.04.2018 + 01.10.2018 + 01.04.2019 + 01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक—01.04.2021 से प्रभावी होगी	01.04.2021 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00=292.00	12.00	304.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00=304.00	12.00	316.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00=370.00	15.00	385.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00=451.00	18.00	470.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00=8363.00	340.00	8703.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई-दिसम्बर,2020** के औसत के आधार पर **01 अप्रैल,2021** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-1231)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

पटना, दिनांक-

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-1232)
बिहार राज्यपाल के आदेश से

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2001-100) For the Month July and August and then after Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2020	336	4.63 X 4.93	7669.50
August, 2020	338	4.63 X 4.93	7715.15
September, 2020	118.1	4.63 X 4.93 X 2.88	7763.72
October, 2020	119.5	4.63 X 4.93 X 2.88	7855.76
November, 2020	119.9	4.63 X 4.93 X 2.88	7882.05
December, 2020	118.8	4.63 X 4.93 X 2.88	7809.74
Total			46695.92
Second Half Yearly Average of the year 2020 July -December $46695.92 \div 6 = 7782.65$			

F:/-M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69 Employment - General Work	Notification No- 2619,2620 Dated- 22.09.2020 Gazette No.- 610 Dated- 22.09.2020	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electrocasting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017+01.04.2018 + 01.10.2018 +01.04.2019+01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2021 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2021 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00=292.00	12.00	304.00 Per day
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00=304.00	12.00	316.00 Per day
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00=370.00	15.00	385.00 Per day
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00=451.00	18.00	470.00 Per day
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00=8363.00	340.00	8703.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2020** will be payable at the aforesaid rates from **1st April,2021** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 1231)
By the order of the Governor of Bihar,

(Signature)
Suryakant Mani,
Deputy Secretary.

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232-

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232-

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2021

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक-
एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जनवरी, 2021	118.2	4.63 X 4.93 X 2.88	7770.30
फरवरी, 2021	119.0	4.63 X 4.93 X 2.88	7822.89
मार्च, 2021	119.6	4.63 X 4.93 X 2.88	7862.33
अप्रैल, 2021	120.1	4.63 X 4.93 X 2.88	7895.20
मई, 2021	120.6	4.63 X 4.93 X 2.88	7928.07
जून, 2021	121.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8000.38
योग :-			47279.17

वर्ष 2021 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत - $47279.17 \div 6 = 7879.86$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -1231, 1232 दिनांक- 31.03.2021 गजट सं०-239 दि०-31.03.2021	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य		69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु

F/-M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्तीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोवाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक- 01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017 + 01.04.2018 + 01.10.2018 + 01.04.2019 + 01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 +01.04.2021 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2021 से प्रभावी होगी	01.10.2021 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	217.00+4.00+4.00+7.00+2.00+11.00+9.00+10.00+5.00+12.00=304.00	2.00	306.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00+12.00=316.00	2.00	318.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00+15.00=385.00	3.00	388.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00+19.00=470.00	4.00	474.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00+340.00=8703.00	68.00	8771.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत विन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 2


VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2021 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2021 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।


(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0- 2847
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक पटना, दिनांक-
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय। का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0- 2848
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2021	118.2	4.63 X 4.93 X 2.88	7770.30
February, 2021	119.0	4.63 X 4.93 X 2.88	7822.89
March, 2021	119.6	4.63 X 4.93 X 2.88	7862.33

F/-M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 3



VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

April, 2021	120.1	4.63 X 4.93 X 2.88	7895.20
May, 2021	120.6	4.63 X 4.93 X 2.88	7928.07
June, 2021	121.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8000.38
Total			47279.17
First Half Yearly Average of the year 2021 January –June $47279.17 \div 6 = 7879.86$			

SCHEDULE-I(B)

Name of employment	Notification No- 1231, 1232 Dated- 31.03.2021 Gazette No.- 239 Dated- 31.03.2021	Total
69 Employment - General Work		<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 4

3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com


SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017+01.04.2018 + 01.10.2018 +01.04.2019+01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 +01.04+2021 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2021 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2021 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00+12.00=304.00	2.00	306.00 Per day
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00+12.00=316.00	2.00	318.00 Per day
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00+15.00=385.00	3.00	388.00 Per day
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00+19.00=470.00	4.00	474.00 Per day
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00+340.00=8703.00	68.00	8771.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July-**January-June, 2021** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2021** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 2847)

By the order of the Governor of Bihar,


(Gajendra Kumar Mishra)
Joint Secretary.


VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 2848 पटना, दिनांक- 30/9/21
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 2848 पटना, दिनांक- 30/9/21
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक /निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 2848 पटना, दिनांक- 30/9/21
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 2848 पटना, दिनांक- 30/9/21
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 01-10-2018 - 6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2022

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2021	122.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8072.69
अगस्त, 2021	123.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8085.84
सितम्बर, 2021	123.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8105.56
अक्टूबर, 2021	124.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8210.75
नवम्बर, 2021	125.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8263.34
दिसम्बर, 2021	125.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8243.61
योग :-			48981.79

वर्ष 2021 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत - $48981.79 \div 6 = 8163.63$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -2847, 2848 दिनांक- 31.03.2021 गजट सं०-833 दि०-30.09.2021	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट ग्री-स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग

F:/M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 1

3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(23) दफ़ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
(24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, विजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
(26) प्लाईवुड उद्योग (27) विजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28)
ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) विस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग
(32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35)
डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिन्रल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट
छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के
निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल
(43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47)
ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग
(स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई
कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज
(53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य
(खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय
शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स
एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63)
कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग
(50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
(68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक— 01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017 + 01.04.2018 + 01.10.2018 + 01.04.2019 + 01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 +01.04.2021+ 01.10.2021 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक— 01.04.2022 से प्रभावी होगी	01.04.2022 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00+12.00+2.00=306.00	12.00	318.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00+12.00+2.00=318.00	12.00	330.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00+15.00+3.00=388.00	15.00	403.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00+19.00+4.00=474.00	18.00	492.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00+340.00+68.00=8771	340.00	9111.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत विन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम

F:/M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 2

३

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2021 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2022 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-992)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक पटना, दिनांक-
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-993)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2021	122.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8072.69
August, 2021	123.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8085.84
September, 2021	123.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8105.56
October, 2021	124.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8210.75
November, 2021	125.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8263.34
December, 2021	125.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8243.61
Total			48981.79
Second Half Yearly Average of the year 2021 July-December $48981.79 \div 6 = 8163.63$			

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69 Employment - General Work	Notification No- 2847, 2848 Dated- 30.09.2021 Gazette No.- 833 Dated- 30.09.2021	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole

F/-M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017+01.04.2018 + 01.10.2018 +01.04.2019+01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 +01.04+2021+01-10-2021 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2022 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2022 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00+12.00+2.00=306.00	12.00	318.00 Per day
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00+12.00+2.00=318.00	12.00	330.00 Per day
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00+15.00+3.00=388.00	15.00	403.00 Per day
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00+19.00+4.00=474.00	18.00	492.00 Per day
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00+340.00+68.00 =8771	340.00	9111.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid

F/-M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-Dec., 2021** will be payable at the aforesaid rates from **1st April, 2022** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 992)

By the order of the Governor of Bihar,

(Gajendra Kumar Mishra)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक /निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

F/-M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 6


VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)


Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्सद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्सद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

F/-M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 7

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st September & October 2022

1

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना प्रारूप

एस0 ओ0— दिनांक— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा- (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-1 के खण्ड-(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-1894,1895 दिनांक-10.06.2022 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-3 में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतैय होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड-(III) के अन्तर्गत होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी।

अनुसूची- I

क्र0 सं0 अनुसूचित नियोजनों का नाम

1. सामान्य नियोजन (69 नियोजन)

1. कॉ- ऑपरेटिव सेक्टर
2. अल्मुनियम उद्योग
3. खंडसारी उद्योग
4. केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग
5. साबुन निर्माण उद्योग
6. सिमेन्ट प्री- स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग
7. एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग
8. ग्लास शीट निर्माण
9. बन्दूक करखाने
10. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
11. पेपर उद्योग
12. लौण्ड्रीज एंड वासिंग
13. होजियरी निर्माण
14. सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग

D:-Minimum Wage Revision October.2016-1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2

15. चर्म वस्तु निर्माण
16. उड वर्क्स फर्नीचर
17. आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स
18. पेट्रोल एवं डिजल पम्पस
19. फिशरीज
20. खादी एवं ग्राम उद्योग
21. प्राइवेट फेरीज एंड एल.टी.सी
22. जिल्दसाजी उद्योग
23. दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड, कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
24. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
25. सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
26. प्लाईउड उद्योग
27. बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग
28. डलाई (फाउन्ड्री) उद्योग
29. रबड़ एवं कम्पाउंड उद्योग
30. बिस्कुट उद्योग
31. कोल ब्रिकेट उद्योग
32. सिलाई उद्योग
33. हैंडलूम उद्योग
34. निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स-
35. डिस्ट्रीलरीज
36. प्लास्टिक उद्योग-
37. मिनरल ग्राईडिंग उद्योग
38. शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर)
39. डेयरीज एवं पॉल्ट्री फॉर्मश-
40. स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
41. चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-
42. चावल मिल, आटा मिल, एवं दाल मिल-
43. तेल मिल-
44. मुद्रणालय
45. किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान-
46. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-
47. ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले-
48. कोल्ड स्टोरेज-
49. लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)-
50. बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य-
51. सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य-
52. बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज-
53. पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें-
54. होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं-
55. अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) - कारखाना एवं प्रतिष्ठान

D:/-Minimum Wage Revision October.2016-2

3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

3

56. सिनेमा उद्योग-
57. किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान-
58. प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी
59. रिफेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग
60. पौट्रीज-
61. ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शाप्स-
62. हार्ड कोक भट्टे-
63. कुरियर सेवा
64. चूड़ा मिल
65. इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निशिंग उद्योग
66. अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
67. लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
68. जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य
69. सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी	दिनांक- 01.12.2016 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक- 01.04.2022 को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	दिनांक- 01.04.2022 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें कुल (3+4)	दिनांक- 01.04.2022 को निर्धारित के दर पर 15% वृद्धि के पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक- 01.09.2022 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	237.00	81.00	318.00	48.00	366.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	247.00	83.00	330.00	50.00	380.00 प्रतिदिन
3	कुशल	301.00	102.00	403.00	60.00	463.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	367.00	125.00	492.00	74.00	566.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00	2312.00	9111.00	1367.00	10478.00 प्रतिमाह

D/-Minimum Wage Revision October.2016-3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

4

टिप्पणी :- (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 8163.00 जो वर्ष, 2021 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।

(ख) दिनांक 30.09.2022 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 34% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(छ) पुरुष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

स्पष्टीकरण :- (क) अकुशल कार्य से अभिप्रेत है जिस कार्य के साधारण प्रचालन में कम या कुछ भी कौशल अथवा अनुभव की अपेक्षा आवश्यक नहीं है।

(ख) अर्द्धकुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता आवश्यक है तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गनिर्देशन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी है।

(ग) कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता आवश्यक है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है।

D:/-Minimum Wage Revision October.2016-4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)


Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

5

(घ) अतिकुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई डिग्री और कतिपय कार्यों के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अन्तर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यावहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य हैं और किसी कर्मकार से इन कार्यों के निष्पादन में आवश्यक कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है।

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-15/2021 श्र०सं०-3142)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव।

एस० ओ०- दिनांक- का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-15/2021 श्र०सं०-3143)

बिहार राज्यपाल के आदेश,



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव।

D/-Minimum Wage Revision October.2016-5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

6

DRAFT NOTIFICATION

S.O. In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section-2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no.- 1894, 1895 dated 10.06.2016 for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns-3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column-2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said employment.

2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.

3. This notification shall come into force with effect from the date of 01 September, 2022.

Schedule-I

Sl. No. Name of Scheduled Employments

1. General Employment (69 Employment):-

1. Co- operative- Sector
2. Aluminium Industry
3. Khandsari industry
4. Chemical and Pharmaceutical Industry
5. Soap Making Industry
6. Cement Pre-stressed product Industry
7. Asbestos Cement Industry
8. Glass Sheet Industry
9. Gun factories
10. Religious & Social Institution
11. Paper Industry

D/-Minimum Wage Revision October.2016-6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

7

12. Laundry & washing
13. Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw
14. Manufacture of Sindur & Rang
15. Manufacture of Leather good
16. Wood works & furniture
17. Ice Cream and Cold Drinks
18. Petrol and Diesel Pump
19. Fisheries
20. Khadi and Village Industries
21. Private Ferries & LTC
22. Book binding Industry
23. Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.
24. Electronics Industry
25. Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry
26. Plywood Industries
27. Electric and other type of Bulbs and Florence tubes
28. Foundry Industries
29. Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture
30. Biscuit Industry
31. Coal briquette Industry
32. Tailoring Industry -
33. Handloom Industry
34. Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic
35. Distilleries
36. Plastic Industries
37. Mineral Grinding Industry
38. Glass Industries (excluding glass sheet)
39. Dairies and Poultry Farms

D/-Minimum Wage Revision October.2016-7



VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

8

40. Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design
41. Tanneries Leather Technology
42. Oil Mills
43. Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills
44. Printing Press
45. Any Shops and establishment
46. Public Motor Transport
47. Any woollen carpet making or shawl weaving establishment.
48. Coal Storage
49. Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)
50. Dam Construction & Irrigation
51. Construction or Manufactory of Road or in Building Construction
52. Bakeries and Confectioneries
53. Shops selling cooked food stuff
54. Hotels Eating House and Restaurants.
55. Mica work (Factory & Establishment excluding Mine)
56. Cinema Industry
57. Any University, Educational, Research or cultural institutions.
58. Private Security
59. Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry
60. Potteries
61. Automobile Engineering Shops
62. Hard Coke Industry
63. Currier Service
64. Frittered Rice
65. Electro Casting and Metal Furnishing
66. Engineering Industries (Employment more than 50 workers)
67. Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc., works

D/-Minimum Wage Revision October.2016-8 

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

9

68.Jute Industry & Similar works

69.Information Technology

Schedule-II

Sl No.	Categories of Workers	Minimum Rates of Wages as on date 01.12.2016	V.D.A Payable as on date 01.04.2022	Minimum Rates of Wages as on date 01.04.2022 (3+4)	15% Existing on Minimum Wages Rate	Fixed Minimum Rates of Wages w.e.f 01.09.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Unskilled	237.00	81.00	318.00	48.00	366.00 Perday
2	Semi skilled	247.00	83.00	330.00	50.00	380.00 Perday
3	Skilled	301.00	102.00	403.00	60.00	463.00 Perday
4	Highly Skilled	367.00	125.00	492.00	74.00	566.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	6799.00	2312.00	9111.00	1367.00	10478.00 Per month

Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 8163.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2021 (July-December)

(b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.03.2022 by adding 15% additional after the 34% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

Explanation :-

(a) "Unskilled work" means work which involve simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

D/-Minimum Wage Revision October.2016-9

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

10


(b) "**Semi-skilled**" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers.

(c) "**Skilled works**" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

(d) "**Highly Skilled**" means work which call for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks including clerical work acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for certain reasonable period and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.

(No.-5/M.W-40-15/2021 L & R - 3142)


By order of the Governor of
Bihar,


(Gajendra Kumar Mishra)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-40-16/2021श्र0सं0- 3143 पटना, दिनांक- 31/8/22

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

D:/-Minimum Wage Revision October 2016-10

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

11

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-40-16/2021श्र0सं0- 3143 पटना, दिनांक- 31/8/22

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-40-16/2021 श्र0सं0- 3143 पटना, दिनांक- 31/8/22

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना / उप कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

D:/Minimum Wage Revision October.2016-11


VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

12

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-40-16/2021 श्र0सं0-3143 पटना, दिनांक- 31/8/22

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव ।

D/-Minimum Wage Revision October.2016-12

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—
एस0 ओ0— दिनांक— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिक फॅक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जनवरी 2022	125.1	4.63 X 4.93 X 2.88	8223.89
फरवरी, 2022	125.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8217.32
मार्च, 2022	126.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8283.06
अप्रैल, 202	127.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8394.81
मई, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
जून, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
योग :- 50079.62			

वर्ष 2022 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत— $50079.62 \div 6 = 8346.60$
8347.00

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -3142, 3143 दिनांक- 31.08.2022 गजट सं०-684 दि०-05.09.2022	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग
F/-M.W V.D.A from 09-09-2022 - 1

3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
(24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
(26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28)
ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग
(32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35)
डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट
छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के
निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल
(43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47)
ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग
(स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई
कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज
(53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अवरख कार्य
(खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय
शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स
एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63)
कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग
(50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलींग का कार्य
(68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.10.2022 से प्रभावी होगी	01.10.2022 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00	7.00	373.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00	8.00	388.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00	9.00	472.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00	11.00	577.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00	210.00	10688.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम

F/M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 2

३

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2022 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2022 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-3808)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.09.22

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक

पटना, दिनांक-

राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-3809)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.09.22

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2022	125.1	4.63 X 4.93 X 2.88	8223.89
February, 2022	125.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8217.32
March, 2022	126.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8283.06
April, 2022	127.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8394.81
May, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
June, 2022	129.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8480.27
Total			50079.62

First Half Yearly Average of the year 2022 Jan.-Jun. $50079.62 \div 6 = 8346.60$
or 8347

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69 Employment - General Work	Notification No- 3142, 3143 Dated- 31.08.2022 Gazette No.- 684 Dated- 05-09-2022	69 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and

F/-M.W. V.D.A from 09-09-2022 - 4



VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2022 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2022 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00	7.00	373.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00	8.00	388.00 Perday
3.	Skilled	463.00	9.00	472.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00	11.00	577.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00	210.00	10688.00 Per Month

F/-M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 5



VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January-June., 2022 will be payable at the aforesaid rates from 1st October, 2022 and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R-3808)


By the order of the Governor of Bihar,


(Gajendra Kumar Mishra)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022


प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक /निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 6

VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्ल्यू-40-16/2021 श्र०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022


प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्ल्यू-40-16/2021 श्र०सं०- 3809 पटना, दिनांक- 30-09-2022

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

F:/M.W. V.D.A from 18-02-2022 - 7

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2023

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2022	129.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8539.443
अगस्त, 2022	130.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8559.165
सितम्बर, 2022	131.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8631.477
अक्टूबर, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
नवम्बर, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
दिसम्बर, 2022	132.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8697.216
योग :- 51848.03			

वर्ष 2022 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत-51848.03 ÷ 6=8641.338
8641.33

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -3808, 3809 दिनांक- 30.09.2022 गजट सं०-808 दिनांक-30.09.2022	कुल 69- अनुसूचित नियोजन
69 नियोजन- सामान्य कार्य		

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग

6208

1

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) डलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोडकर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोडकर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोवाईल इंजिनियरिंग शोप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूडा मिल (65) इलेक्ट्रोकारिस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची –II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2023 से प्रभावी होगी	01.04.2023 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00=373.00	15.00	388.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00=388.00	15.00	403.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00=472.00	19.00	491.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00=577.00	23.00	600.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00+210.00=10688.00	419.00	11107.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत विन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरें में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय



2

VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2022 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2023 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 अ0सं0-1687)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



31.3.23
(सतीश कुमार शाही)
अवर सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक पटना, दिनांक-
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 अ0सं0-1688)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


31.3.23
(सतीश कुमार शाही)
अवर सचिव।

3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2022	129.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8539.443
August, 2022	130.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8559.165
September, 2022	131.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8631.477
October, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
November, 2022	132.5	4.63 X 4.93 X 2.88	8710.363
December, 2022	132.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8697.216
Total			51848.03
Second Half Yearly Average of the year 2022 July-Dec. $51848.03 \div 6 = 8641.338$			or 8641.33

SCHEDULE-I(B)

Name of employment	Notification No- 3808, 3809 Dated- 30.09.2022 Gazette No.- 808 Dated- 30-09-2022	Total
69 Employment - General Work		<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosierys Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village

See

4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology.

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2023 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2023 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00=373.00	15.00	388.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00=388.00	15.00	403.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00=472.00	19.00	491.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00=577.00	23.00	600.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00+210.00=10688.00	419.00	11107.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid

Dear

5

VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July -December, 2022 will be payable at the aforesaid rates from 1st April, 2023 and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 1687)

By the order of the Governor of Bihar,




(Satish Kumar Shahi)
Under Secretary

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1688

पटना, दिनांक- 31.03.23

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।




(सतीश कुमार शाही)
अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1688

पटना, दिनांक- 31.03.23

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक /निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सतीश कुमार शाही)
अवर सचिव।

6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)


Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०-1688

पटना, दिनांक- 31.03.23

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।



31.3.23

(सतीश कुमार शाही)
अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०-1688

पटना, दिनांक- 31.03.23

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31.3.23

(सतीश कुमार शाही)
अवर सचिव।

7

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2023

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—
एस0 ओ0— दिनांक— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फ़ैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जनवरी, 2023	132.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8730
फरवरी, 2023	132.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8724
मार्च, 2023	133.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8763
अप्रैल, 2023	134.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8822
मई, 2023	134.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8855
जुन, 2023	136.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8967
योग :-			52861

वर्ष 2023 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जुन का औसत— $52861 \div 6 = 8810.16$
अथवा—**8810**

A

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अनुसूची-1 (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.04.2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	69 नियोजन- सामान्य कार्य	अधिसूचना संख्या -1687,1688 दिनांक- 31.03.2023 गजट सं०-298 दिनांक-10.04.2023	69- <u>अनुसूचित</u> <u>नियोजन</u>

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अलमुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेडेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्स्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग

A

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
(68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।


अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2023 से प्रभावी होगी	01.10.2023 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00+15.00=388.00	7.00	395.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00=403.00	8.00	411.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00=491.00	9.00	500.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00=600.00	11.00	611.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00+210.00+419.00=11107.00	210.00	11317.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2023 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2023 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-5362)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।


VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अधिसूचना

पटना, दिनांक—
एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा
जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-5363)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आलोक कुमार)
विशेष सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2023	132.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8730
February, 2023	132.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8724
March, 2023	133.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8763
April, 2023	134.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8822
May, 2023	134.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8855
June, 2023	136.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8967
Total			52861

Second Half Yearly Average of the year January to June,2023. $52861 \div 6 = 8810.16$

or **8810**

SCHEDULE-I(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	2	3	4
1	69 Employment - General Work	Notification No- 1687,1688 Dated- 31.03.2023 Gazette No.- 298 Dated- 10.04.2023	69 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15)

A

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology.

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2023 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2023 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00=388.00	7.00	395.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00=403.00	8.00	411.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00=491.00	9.00	500.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23=600.00	11.00	611.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00+210.00+419.00=11107.00	210.00	11317.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been

A

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January -June, 2023** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2023** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 5362)

By the order of the Governor of Bihar,




(Alok Kumar)

Special Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 5363 पटना, दिनांक- 27/9/23

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।




(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 5363 पटना, दिनांक- 27/9/23

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 5363 पटना, दिनांक- 27/9/23

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 5363 पटना, दिनांक- 27/9/23

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2024

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1945 (शुक्रवार)
(सं० पटना 262) पटना, शुक्रवार, 15 मार्च 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2024

एस० ओ० 69 दिनांक-15.3.2024—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 23	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
अगस्त, 23	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
सितम्बर, 23	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अक्टूबर, 23	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
नवम्बर, 23	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
दिसम्बर, 23	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2

बिहार गजट (असाधारण) 15 मार्च 2024

वर्ष 2023 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई से दिसम्बर, 2023 का औसत- 54740.5÷6 = 9123.41

अनुसूची-1 (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	69 नियोजन-सामान्य कार्य	अधिसूचना संख्या -5362, 5363 दिनांक-27.09.2023 गजट सं०-791 दिनांक-27.09.2023	69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) कॅमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एक्सेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिरकुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल प्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारिस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र०सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील मर्हंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2024 से प्रभावी होगी	01.04.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00= 395.00	15.00	410.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00 =411.00	15.00	426.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00 =500.00	19.00	519.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00 =611.00	23.00	634.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	10478.00+210.00+419.00+ 210.00= 11317.00	419.00	11736.00 प्रतिमाह

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण) 15 मार्च 2024

3

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2023 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2024 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-16/2021 श्र०सं०-1496)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

14 मार्च 2024

एस०ओ० 70 एस०ओ० 69 दिनांक 15.3.2024 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-16/2021 श्र०सं०-1497)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

The 14th March 2024

S.O. 69 Dated 15.3.2024—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2023	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
August, 2023	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
September, 2023	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
October, 2023	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
November, 2023	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
December, 2023	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
Total			54740.5
Second Half Yearly Average of the year July to December,2023. $54740.5 \div 6 = 9123.41$			

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

4

बिहार गजट (असाधारण) 15 मार्च 2024

SCHEDULE-I(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.10.2023	Total
1	2	3	4
1	69 Employment - General Work	Notification No- 5362,5363 Dated- 27.09.2023 Gazette No.- 791 Dated- 27.09.2023	69 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hoseries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण) 15 मार्च 2024

5

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	350.00+7.00+14.00+7.00=378.00	15.00	410.00 Per day
2.	Semi skilled	366.00+7.00+15.00+7.00=395.00	15.00	426.00 Per day
3.	Skilled	447.00+9.00+18.00+9.00=483.00	19.00	519.00 Per day
4.	Highly Skilled	545.00+11.00+22.00+11.00=589.00	23.00	634.00 Per day
5.	Supervisory/Clerical	10071.00+201.00+403.00+201.00=10876.00	419.00	11736.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July -December, 2023** will be payable at the aforesaid rates from **1st April, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R-1496)

By the order of the Governor of Bihar,

Rajeev Ranjan,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 262-571+100-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2024

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में ओं का अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत- $54740.5 \div 6 = 9123.41$

अनुसूची-1 (ब)

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	69 नियोजन- सामान्य कार्य	अधिसूचना संख्या: -1496, 1497 दिनांक-14.03.2024 गजट सं0-262 दिनांक-15.03.2024	69- अनुसूचित नियोजन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(1) कॉ-ऑपरेटिव सोलर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) कॅमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रैटेडेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक कारखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्डीज एंड वॉशिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्कर्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, गील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलव स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) विस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल वाशिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय आर चर्म विनिर्माणशालाओं (42) नावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अवरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशांघ अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोवाइल इंजिनियरिंग शोप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

2/14

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+ 01-04-2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.10.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=426.00	2.00	428.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=519.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00=634.00	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00=11736.00	44.00	11780.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2024 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2024 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।


(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2024 शी0सं0-07)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सिध






30.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com


—4—

अधिसूचना

पटना, दिनांक— 30/09/2024
एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या—5/एम0डब्लू0—40—16/2021 श्र0सं0— 08)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(सजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

Patna, dated- 30/09/2024

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2024	139.7	4.63 X4.93 X2.86	9183.68
February, 2024	139.2	4.63 X4.93 X2.86	9150.81
March, 2024	137.5	4.63 X4.93 X2.86	9039.05
April, 2024	138.4	4.63 X4.93 X2.86	9098.22
May, 2024	139.1	4.63 X4.93 X2.86	9144.23
June, 2024	138.8	4.63 X4.93X2.86	9124.51
Total			54740.5
Second First Yearly Average of the year january to june, 2024. $54740.5 \div 6 =$			9123.41

SCHEDULE-I(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates affective from 01.10.2023	Total
1	2	3	4
1	69 Employment - General Work	Notification No- 1496, 1497 Dated- 14.03.2024 Gazette No.- 262 Dated- 15.03.2024	69 Scheduled Employment



VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-2-

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Daffi, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-3-

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+ 01.04.2024 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00- 410.00	2.00	412.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00 426.00	2.00	428.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00 519.00	2.00	521.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00 634.00	2.00	636.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00+210.00+119.00+210.00+419.00=11736.00	14.00	11780.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January - June, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 07)

By the order of the Governor of Bihar,


(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.


ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 08 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।








(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

-4-

ज्ञापांक-5/एम०डब्ल्यू-40-16/2021 श्र०सं०-08 पटना, दिनांक- 30/09/2024


प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम सचिव, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/स्थान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्ल्यू-40-16/2021 श्र०सं०-08 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सड़-उध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार क अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्म एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


30.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्ल्यू-40-16/2021 श्र०सं०-08 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि :- आइ०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।








30.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक:-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत- $54740.5 \div 6 = 9123.41$

अनुसूची-1 (ब)

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	(1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर)	अधिसूचना संख्या - 1498, 1499 दिनांक- 14.03.2024 गजट सं0-263 दिनांक- 15.03.2024	04 नियोजन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)


Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022+01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01-04-2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.10.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	350.00+7.00+14.00+7.00+14.00=392	1.00	393.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	447.00+9.00+18.00+9.00+18.00=501.00	2.00	503.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	545.00+11.00+22.00+11.00+22.00=611.00	2.00	613.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षी / लिपिकीय	10071.00+201.00+403.00+201.00+403=11279.00	42.00	11321.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून 2024 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2024 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-15/2021 श्र0सं0-01)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,



20.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 30/09/2024

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-15/2021 श्र0सं0-02)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


30.9.24
(राजीव रंजन)

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated- 30/09/2024

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2024	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
February, 2024	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
March, 2024	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
April, 2024	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
May, 2024	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
June, 2024	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
Total			54740.5
Second First Yearly Average of the year January to June,2024. $54740.5 \div 6 = 9123.41$			

SCHEDULE-1 (B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2024	Total
1	2	3	4
1	(1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of Safaies Karamcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993)	Notification No- 1498, 1499 Dated- 14-03-2024 Gazette No.- 263 Dated- 15-03-2024	04 Employment

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	350.00+7.00+14.00+7.00+14.00=392	1.00	393.00 Perday
2.	Semi skilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday
3.	Skilled	447.00+9.00+18.00+9.00+18.00=501.00	2.00	503.00 Perday
4.	Highly Skilled	545.00+11.00+22.00+11.00+22.00=611.00	2.00	613.00 Perday
5.	Supervisory /Clerical	10071.00+201.00+403.00+201.00+403 =11279.00	42.00	11321.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January to June, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-15/2021 L&R- 01)

By the order of the Governor of Bihar,

(Rajeev Ranjan)

Joint Secretary,

ज्ञापक-5/एम०डब्लू-40-15/2021 श्र०सं०- 02

पटना, दिनांक- 30/09/2024


प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम सुसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com



20.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-15/2021 श्र०सं०- 02 पटना, दिनांक- 30/09/2024
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


20.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-15/2021 श्र०सं०- 02 पटना, दिनांक- 30/09/2024
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।


20.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-15/2021 श्र०सं०- 02 पटना, दिनांक- 30/09/2024
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।








20.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1 (अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।


अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत- $54740.5 \div 6 = 9123.41$



अथवा- 9124



VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अनुसूची-1 (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.04.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	घरेलू कामगार,	अधिसूचना संख्या - 1502, 1503 दिनांक- 14.03.2024 गजट सं०-265 दिनांक-15.03.2024	घरेलू कामगार,

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.10.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	1089.00+22.00+44.00+22.00+5.00=1182	5.00	1226.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना / बरतन धोना (प्रति घंटा)	1089.00+22.00+44.00+22+5.00=1182	5.00	1226.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना / कपड़ा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	1089.00+22.00+44.00+22+5.00=1182	5.00	1226.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना / बरतन धोना / पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	8743.00+175.00+350.00+175+37= 9480.00	37.00	9830.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना / बरतन धोना पोछा लगाना / बच्चों की देखभाल करना / बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलु विविध कार्य करना (08 घंटा)	8743.00+175.00+350.00+175+37= 9480.00	37.00	9830.00 प्रतिमाह

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि

अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जनवरी 2024 से जून, 2024** के औसत के आधार पर **01 अक्टूबर, 2024** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-13/2021 श्र0सं0- ~~5407~~
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 03


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।


अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक- ~~30/09/2024~~ का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।



(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-13/2021 श्र0सं0- ~~5407~~ 04
बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

S.O. _____ Date _____ In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
फरवीर, 24	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

or 9124

SCHEDULE -1 (B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	2	3	4
1	Domestic Workers	Notification No- 1502, 1503 Dated- 14.03.2024 Gazette No.- 265 Dated- 15-03-2024	Domestic Workers

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated- 01.09.2022 + 01.10.2022+ 01.04.2023+01.10.2023 +01.04.2024 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	Washing the utensils (Per hour)	1089.00+22.00+44.00+22.00+5.00=1182	5.00	1226.00 Per month
2	Washing the clothes/ washing the Utensil (Per hour)	1089.00+22.00+44.00+22.00+5.00=1182	5.00	1226.00 Per month
3	Washing the clothes/ washing the utensil housekeeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (Per hour)	1089.00+22.00+44.00+22.00+5.00=1182	5.00	1226.00 Per month
4	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	8743.00+175.00+350.00+175+37= 9480.00	37.00	9830.00 Per month
5	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works. (Eight hours)	8743.00+175.00+350.00+175+37= 9480.00	37.00	9830.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)


Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

The payment of Variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.


(No-5/ M.W.- 40-13/2021 L&R- 5402 03)
By the order of the Governor of Bihar.


(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5 / एम0डब्लू0-40-13 / 2021 श्र0सं0- 5403 पटना, दिनांक- 30/9/24
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5 / एम0डब्लू0-40-13 / 2021 श्र0सं0- 5403 पटना, दिनांक- 30/9/24
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।







VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

एस0 ओ0- दिनांक-
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51

योग :-54740.5

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत- $54740.5 \div 6 = 9123.41$

अनुसूची-1(ब)

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.04.2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	कृषि नियोजन	अधिसूचना संख्या - 1492, 1493 दिनांक-14.03.2024 गजट सं0-266, दिनांक-15.03.2024	कृषि नियोजन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04-2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.10.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए।	348.00+7.00+14.00+7.00 -14.00=390.00	1.00	391.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राइवर एवं पम्प ऑपरेटर।	12587.00+252.00+503.00+252.00+503.00=14097.00	53.00	14150.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी/पम्प खलासी/चौकीदा/सिपाही/हलवाहा।	9795.00+196.00+392.00+196.00+392.00=10971.00	41.00	11012.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा।		

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2024 के औसत के आधार पर 1 अक्टूबर, 2024 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र0सं0-05)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव कुंजन) 24
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0 ओ0 - दिनांक 30/09/2024 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्र0सं0-06)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव कुंजन) 24
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

S.O. _____ Date _____ In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE- 1-(A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2024	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
February, 2024	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
March, 2024	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
April, 2024	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
May, 2024	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
June, 2024	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
Total			54740.5
Second First Yearly Average of the year January to June, 2024. $54740.5 \div 6 =$			9123.41

Schedule-1(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	2	3	4
1	Agriculture Operations	Notification No- 1492, 1493 Dated- 14.03.2024 Gazette No.- 266 Dated- 15.03.2024	Agriculture Operations

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 +01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01-04-2024 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	348.00+7.00+14.00+7.00+14.00 390.00	1.00	391.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	12587.00+252.00+503.00+252.00+503.00 14097.00	53.00	14150.00 Per Month
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	9795.00+196.00+392.00+196.00+392.00 10971.00	41.00	11012.00 Per Month
4	Harvesting	One bundle in 10 bundle of harvested crops.		

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January -June, 2024** will be payable at the aforesaid rates form **1st October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(No- 5 / M.W.-40-17 / 2021 I.&R-) 05

By the order of the Governor of Bihar.


(Rajeev Ranjan)

Joint Secretary.

ज्ञापांक-संख्या-5 / एम0डब्लू0-40-17 / 2021 श्रंसं-06 पटना, दिनांक-30/09/2024

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


30.9.24
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- संख्या-5 / एम0डब्लू0-40-17 / 2021 श्रंसं-06 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30.9.24
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।







VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापक- संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्रंसं-06 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण सगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- संख्या-5/एम0डब्लू0-40-17/2021 श्रंसं-06 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।






(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत- $54740.5 \div 6 = 9123.41$

अनुसूची-1 (ब)

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	विक्रय प्रोत्साहन नियोजन	अधिसूचना संख्या - 1500.1501 दिनांक- 14.03.2024 गजट सं0-264 दिनांक-15.03.2024	विक्रय प्रोत्साहन नियोजन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अनुसूची-II


क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022+ 01.10.2022 +01.04. 2023+01.10.2023+01.04. 2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.04.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	335.00+7.00+13.00+7.00+13.00= 375.00	2.00	377.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	346.00+7.00+14.00+7.00+14.00 =388.00	1.00	389.00 प्रतिदिन
3	कुशल	429.00+9.00+17.00+9.00+17.00 =481.00	2.00	483.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	522.00+10.00+21.00+10.00+21.00 =584.00	2.00	586.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	9674.00+193.00+387.00+193.00+ 387.00= 10834.00	41.00	10875.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के

स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2024 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2024 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-14/2021 श्र0सं0-09)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राजीव रजन)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक- 30/9/24 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-14/2021 श्र0सं0-10)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रजन)
संयुक्त सचिव।

2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section (1) of Section-05 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2024	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
February, 2024	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
March, 2024	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
April, 2024	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
May, 2024	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
June, 2024	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
Total			54740.5
Second First Yearly Average of the year January to June, 2024. $54740.5 \div 6 = 9123.41$			

SCHEDULE -1 (B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	2	3	4
1	Sales Promotion Employment	Notification No- 1500,1501 Dated- 14.03.2024 Gazette No.- 264 Dated- 15-03-2024	Sales Promotion Employment

3

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023 +01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	335.00+7.00+13.00+7.00+13.00=375.00	1.00	376.00 Perday
2.	Semi skilled	346.00+7.00+14.00+7.00+14.00=388.00	1.00	390.00 .00 Perday
3.	Skilled	429.00+9.00+17.00+9.00+17.00=481.00	2.00	483.00 Perday
4.	Highly Skilled	522.00+10.00+21.00+10.00+21.00=584.00	2.00	586.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	9674.00+193.00+387.00+193.00+387.00= 10834.00	41.00	10875.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-14/2021 L&R- 09)

By the order of the Governor of Bihar,


(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

झापांक-5/एमडब्लू-40-14/2021 अंसं- 10


पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सीडी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।






(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

4

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-14/2021 श्र०सं०- 10

पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राजीव रजन)


संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-14/2021 श्र०सं०- 10

पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(राजीव रजन)


संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-14/2021 श्र०सं०-10

पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




(राजीव रजन)

संयुक्त सचिव।



5

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2024	139.7	4.63 x4.93 x2.88	9183.68
February, 2024	139.2	4.63 x4.93 x2.88	9150.81
march, 2024	137.5	4.63 x4.93 x2.88	9039.05
April, 2024	138.4	4.63 x4.93 x2.88	9098.22
May, 2024	139.1	4.63 x4.93 x2.88	9144.23
June, 2024	138.8	4.63 x4.93x2.88	9124.51
Total			54740.5

Second First Yearly Average of the year January to June, 2024. $54740.5 \div 6 = 9123.41$

SCHEDULE-1 (B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2024	Total
1	2	3	4
1	1- Stone Breaking and Stone Crushing Operation 2- Bidi Making Manufacturing 3- Brick Manufactor 4-Hair Cutting Saloon 5- Loading and Unloading 6- Forestry and Timbering Operation 7- Silk Industries	Notification No- -1495 दिनांक-14.03.2024 Gazette No.- -267 Date- 15.03.2024	12 Employment

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

including Manufacturing from pure Silk Artificial Silk and other staple Yarn 8- Earth Cutting Operation 9- Tea PLatation10- Lac Manufactory 11- Power Loom Industr 12- Plucking and Processing of Kendu Leave-		
---	--	--

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Stone Breaking & Stone Crushing Operations			
	General Work			
1.	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+410=$ 397.00	2.00	412.00 Perday
2.	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=$ 426.00	2.00	428.00 Perday
3.	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=$ 519.00	2.00	521.00 Perday
4.	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.0$ $0=634.00$	2.00	636.00 Perday
5.	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00$ $+419=11736.00$	44.00	11780.00 Per Month
	Piece Work			
I.	Mining & Carrying by Bullock Cart-			
(a)	Within up to quarter mile per 100 Cft-	$794.00+16.00+32.00+16.00+3.00=$ 858.00	3.00	893.00 Perday

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(b)	For every above quarter mile of carrying per 100/- Cft—	182.00+4.00+7.00+4.00+1.00 =198.00	1.00	205.00 Perday
II.	Mining chelly breaking and transport by trolley per tub-of 25ft-	197.00+4.00+8.00+4.00+1.00 =214.00	1.00	222.00 Perday
III	Chelly breaker from boulder per 100/-Cft-	197.00+4.00+8.00+4.00+1.00 =214.00	1.00	222.00 Perday
IV.	Ballast Breaker from boulder- per 100/-Cft--			
(a)	2"x3"	413.00+8.00+17.00+8.00+2.00 =448.00	2.00	465.00
(b)	2"X2-50"	518.00+10.00+21.00+10.00+2.00 =561.00	2.00	582.00
(c)	1-50"X2"	616.00+12.00+25.00+12.00+3.00 =668.00	3.00	693.00
(d)	1"	1017.00+20.00+41.00+20.00+44.00 =1102.00	4.00	1143.00
V.	Breaking Ballast from telai-Per Box of 5ft-	67.00+1.00+3.00+1.00+0.28 =72.28	0.28	75.28
VI.	Chips Breaker-			
(a)	Hand made chips of 3/4"Dn- per Cft- -	33.00+0.66+1.32+1.00=36.00	0.15	37.47
(b)	Hand made chips of 1" Dn- per Cft- -	33.00+0.66+1.32+1.00+0.11 =36.00	0.11	37.73
VII.	Earth Cutting -			
(a)	For soft earth- per 90 Cft-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412 Perday
(b)	For hard earth per 75 Cft-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412 Perday
(c)	For highly hand earth- per 60 Cft-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412 Perday

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-

VIII	Borers and Drollers per ft-	49.00+0.98+2.00+1.00+2.00 =53.00	2.00	55.00 Perday
IX.	Mines (Including boulders carrying Head load within a quarter mile-) per25 Cft.	239.00+5.00+10.00+5.00+10.00 =269.00	1.00	270.00 Perday
X.	Wagon Loaders full head of Board gauges wagon(500 cubic ft-) per Wagon load-	658.00+13.00+26.00+13.00+3.00= 713.00	3.00	739.00 Perday
XI.	Stone Set (Stone Bricks) Per 100 Pcs.			
(a)	Breaking Size (9"x6"x4")	814.00+16.00+33.00+16.00+3.00 =882.00	3.00	915
(b)	Stone Set (Stone Bricks Polishing)	449.00+9.00+18.00+9.00+1.00= 486.00	1.00	504
(c)	Stone Set (Stone Bricks Cautting & Transporting) for 3 to 4 mile -	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412
2.	Bidi Making Manufacture :-			
	General Work			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00= 397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00 =413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00 =502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical/Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+44= 11361.00	44.00	11780.00 Per Month
	Piece Work			
I.	Per thousand bidi provided that Where employers	354.00+7.00+14.00+7.00+1.00 =383.00	1.00	397

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	earning at this rate is less than Rs- 43-00 per day he shall be paid at least Rs. 36.00 per that day subject to the condition specified in the annexure here to.			
(a)	Libeling (Single) per lakh	$449.00+9.00+18.00+9.00+2.00+2.00=489.00$	2.00	505
(b)	Libeling (double) per lakh	$466.00+9.00+19.00+9.00+2.00=505.00$	2.00	524
II. Sekai Work-				
(a)	Employees employed in Sekai by any process Bidi Other than Tandoor. Per Lakh Bidi. other than tandoor- per lakh	$216.00+4.00+9.00+4.00+0.42+1.00=233.42$	1.00	243
(b)	Sekai by Tandoor per lakh Bidi	$220.00+4.00+9.00+4.00+1.00=238.00$	1.00	247
(c)	Packing (Basket packing) per lakh	$225.00+5.00+9.00+5.00+1.00=245.00$	1.00	254
3. Brick Manufactory-				
I General Work-				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11317.00$	44.00	11780.00 Per Month
II. Piece Work				
(i)	Brick moulders (inclusive of cutting earth,	$535.00+11.00+21.00+11.00+2.00=580.00$	2.00	601 Perday

SN

G a

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	kneading earth, watering earth, carrying earth to parria) per thousand bricks-			
(ii)	Loading & unloading of Bricks in Bhattha) per 1000 bricks & unsilled Labour per day.	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412 Perday
(iii)	Mistri	$10111.00+202.00+404.00+202.00+404.00=11323.00$	43.00	11366 Per Month
III.	<u>IN CHIMNEYS</u>			
(i)	Brick moulder (inclusive of cutting earth, kneading earth, watering earth, and carrying earth to pariah & Pug mill. Per 1000 bricks.	$472.00+9.00+19.00+9.00+2.00=511.00$	2.00	530 Perday
(ii)	Bricks Loading and Unloading of per 1000 & Unskilled Labour-per day.	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412 Perday
(iii)	Fireman	$11238.00+225.00+450.00+225.00+47=12185.00$	47.00	12635 Per Month
(iv)	Coalman/Chowkid ar/Fire Khalalsi & Rublishman.	$9478.00+190.00+379.00+190.00+40.00=10277.00$	40.00	10656 Per Month
(v)	Mate/Over Supervisor & Mistry.	$10857.00+217.00+434.00+217.00+46.00=11771.00$	46.00	12205 Per Month
(vi)	Munshi	$11462.00+229.00+458.00+229.00+48.00=12426.00$	48.00	12885 Per Month
4.	Hair Cutting Saloon -			
	General Work -			
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11781.00 Per Month
Piece Work				
I.	Per Hair Cutting.	$51.00+1.00+2.00+1.00+0.21=55.21$	0.21	57.21
II.	Per shaving.	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.07=18.41$	0.07	19.09
III	Per hair cutting & shaving.	$63.00+1.00+3.00+1.00+0.26=68.26$	0.26	71.26
IV	Per Sar Mundan	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.80$	0.15	42.67
V	Per Hair Cutting of Children.	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.32
Vi	Per Sar Malish.	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.26$	0.05	14.83
VII	Per Shampoo.	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12=33.92$	0.12	34.32
VIII	Per hair Dying.	$148.00+3.00+6.00+3.00+0.62=160.62$	0.62	166.62
5. Loading & Unloading Operation-				
General Work-				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+2.00=11361.00$	44.00	11738.00 Per Month
Piece Work				
I-	Loading or UN loading of Bags, Gur	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	Chakkies, Fertilizer bales of cloths, Jute, Cotton etc- tin or drum of Kerosene oil, Mustered Oil, Coconut Oil and other oil, Dalda Malases, Paints tar etc- or any other load, not specified in this schedule from Godown or Shop or storage place to railways wagon, truck, Bullock cart, etc- or from one place to another place and vice -versa for carrying loads every 200 meters or parts there fo per load of.			
I	Less than 20 kg-	$6.00+0.12+0.24+0.12+0.02=6.50$	0.02	6.74
II	From 20 to 40 Kg-	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.64$	0.03	8.99
III	From 41 Kg- to 65 Kg-	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04=11.40$	0.04	11.64
IV	From 66 Kg- to 85 Kg-	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.43$	0.05	14.83
V	From 86 Kg- to 100 Kg-	$18.00+0.36+0.72+0.36+0.07=19.43$	0.07	20.15
VI	From 101 Kg- and above (Rupees for every Two Kg-load over 101 kg.)	$(19.26+3.09)+(0.38+0.06)+(0.77+0.12)+(0.38+0.06)=(20.79+3.33)$	(0.08+0.01)	(21.64+3.46)
(2)	Filling or weighing or welding of this and drums or arranging of Bags , tins , drums and	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday

Handwritten mark

Handwritten marks

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	other			
(i)	Filling or refilling or arranging of Bags, tins and any other load (per load of) -			
(a)	Up to 40 Kg-	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(b)	From 41 Kg- to 65 Kg-	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.67$	0.03	8.99
(c)	From 66 Kg- to 100 Kg-	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04=11.24$	0.04	11.64
(d)	101 Kg- and above (Rupees for every 10 Kg-load over 101 Kg-)	$(19.14+4.31)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.38+0.08)=(20.67+4.64)(0.08+0.01)$	(0.00+0.00)	(21.44+4.81)
(ii)	Sewing of Bags of welding of tins or weighing of load above 10Kg- on scale	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(3).	Loading or Unloading of Bamboo, wooden poles, Wooden logs, fuel wood and sugar cane.	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412
(i)	Loading of Bamboo and Wooden Poles:-			
(a)	Per Railway wagon	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00=2257.00$	8.46	828.00
(b)	Per Truck	$350.00+7.00+14.00+7.00+2.00=378.00$	2.00	393.00
(c)	Per Tyre cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(d)	Per bullock cart	$71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29$	0.29	79.29
(ii)	Loading of wooden logs and fuel woods :-			
(a)	Per railways wagon	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00=799.00$	3.00	828.00
(b)	Per truck	$350.00+7.00+14.00+7.00+1.00=379.00$	1.00	393.00

Handwritten signature

Handwritten signature

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(c)	Per tyre cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42+0.29=$ 109.29	0.29	113.29
(d)	Per bullock cart	$71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29$	0.29	79.29
(iii) Unloading of Bamboo Wooden poles, wooden logs and wood :-				
(a)	Per railways wagon	$239.00+5.00+10.00+5.00+1.00=$ 260.00	1.00	270.00
(b)	Per truck	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=$ 109.42	0.42	113.42
(c)	Per tyre cart	$35.00+0.70+1.40+1.00+0.14=$ 38.14	0.14	39.54
(d)	Per bullock cart	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.09=$ 22.50	0.08	23.34
(iv)	Loading and Unloading of Sugar Cane Per quintal	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=$ 14.26	0.05	14.83
(4)	Loading and Unloading of Bricks, Fire Bricks, tiles, Fragile wares made of cement or clay or glass, Boulders Ballast, chelly and coal-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412
(i) Loading and Unloading of Fire Bricks, tiles, fragils, water made of cement or clay or Glass-				
(a)	Per railways wagon	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00$ =2257.46	8.46	2192.92
(b)	Per truck	$875.00+18.00+35.00+18.00+3.67=$ 949.67	3.67	985.00
(c)	Per tyre cart	$253.00+5.00+10.00+5.00+1.00=$ 274.00	1.00	284.00
(d)	Per bullock cart	$177.00+4.00+7.00+4.00+1.00=$ 193.00	1.00	200.00
(ii) Loading of Bricks:-----				
(a)	Per railways wagon	$1570.00+31.00+63.00+31.00+7.00=$ 1702.00	7.00	1765.00
(b)	Per truck	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00$ =796.00	3.00	828.00
(c)	Per tyre cart	$213.00+4.00+9.00+4.00+0.89=$ 230.89	0.89	239.89





VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(d)	Per bullock cart	$155.00+3.00+6.00+3.00+0.65=167.65$	0.65	174.00
(iii) Unloading of Brick-				
(a)	Per railways wagon	$1033.00+21.00+41.00+21.00+4.00=1120.00$	4.00	1166.00
(b)	Per truck	$499.00+10.00+20.00+10.00+2.00=541.00$	2.00	563.00
(c)	Per tyre cart	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00=173.00$	0.65	174.00
(d)	Per bullock cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(iv) Loading & Unloading of Stone chips & Challi-				
(a)	Loading per 100 cft	$130.00+3.00+5.00+3.00+5.00=141.54$	0.54	146.54
(b)	Unloading per100cft	$89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37$	0.37	101.37
(v) Loading & Unloading of Ballast & Bolders -				
(a)	Loading per 100 cft	$123.00+2.00+5.00+2.00+0.51=132.51$	0.51	137.51
(b)	Unloading per100cft	$89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37$	0.37	101.37
(5)	Loading, Unloading of iron rods, G-sheet, Iron Pipes, humepipe, Machineris equipments and other hard wires:-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
(i) Loading-				
(a)	Per railways wagon	$1764.00+35.00+71.00+35.00+7.00=1912.00$	7.00	1983.00
(b)	Per truck	$814.00+16.00+33.00+16.00+3.00=882.00$	3.00	915.00
(c)	Per tyre cart	$237.00+5.00+9.00+5.00+1.00=257.00$	1.00	266.00
(d)	Per bullock cart	$200.00+4.00+8.00+4.00+1.00=217.00$	1.00	225.00
(ii) Unloading				

Handwritten mark

Handwritten mark

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(a)	Per railways wagon	$1190.00+24.00+48.00+24.00+5.00=1291.00$	5.00	1339.00
(b)	Per truck	$601.00+12.00+24.00+12.00+3.00=652.00$	3.00	676.00
(c)	Per tyre cart	$182.00+4.00+7.00+4.00+1.00=197.00$	1.00	205.00
(d)	Per bullock cart	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00+2.00=132.00$	1.00	137.00
(6)	Loading and Unloading of coal.	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00
(i) Loading-				
(a)	Per railways wagon 4 wheel (Wagon of 22 tones capacity).	$712.00+14.00+28.00+14.00+3.00=771.00$	3.00	799.00
(b)	Per truck 200 Cft-	$443.00+9.00+18.00+9.00+2.00=481.00$	2.00	499.00
(c)	Per tyre cart	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132.00$	1.00	137.00
(d)	Per bullock cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(ii) Unloading				
(a)	Per railways wagon (Wagon of 22 tones capacity)	$483.00+10.00+19.00+10.00+2.00=524.00$	2.00	543.00
(b)	Per truck 200Cft-	$279.00+6.00+11.00+6.00+1.00=303.00$	1.00	314.00
(c)	Per tyre cart	$66.00+1.00+3.00+1.00+0.29=71.29$	0.29	74.29
(d)	Per bullock cart	$41.00+0.82+1.64+1.00+0.17=44.00$	0.17	45.81
(7)	Loading and Unloading of lime and clay and earth etc-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00
(i) Loading				
(a)	Per railways wagon (Wagon of 22 tones capacity)	$557.00+11.00+22.00+11.00+2.00=603.00$	2.00	625.00
(b)	Per truck 200 Cft-	$324.00+6.00+13.00+6.00+1.00=350.00$	1.00	363.00

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(c)	Per tyre cart	$159.00+3.00+6.00+3.00+1.00=172.00$	1.00	170.00
(d)	Per bullock cart	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132.00$	1.00	137.00
(ii) Unloading				
(a)	Per railways wagon (4 wheel (Wagon of 22 tones capacity)	$393.00+8.00+16.00+8.00+2.00=425.00$	2.00	443.00
(b)	Per truck 200 Cft-	$173.00+3.00+7.00+3.00+1.00=187.00$	1.00	194.00
(c)	Per tyre cart	$90.00+2.00+4.00+2.00+0.37=98.37$	0.37	102.37
(d)	Per bullock cart	$65.00+1.00+3.00+1.00+0.27=70.27$	0.27	73.27
(8)	Loading and Unloading of cement per bag-	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.31$	0.05	14.83
6 Forestry and Timbering Operation-				
General Work				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11780.00 Per Month
Piece Work				
(a)	Log cutter of various sizes falling demarking and stocking at loading sits at copies forest, pole-(4"x5") Per cubic meter.	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.64$	0.03	8.99
(b)	Conversion of tram line and fencing post	$11.00+0.22+0.44+0.22+0.04=12.26$	0.04	12.70

Handwritten mark

Handwritten mark

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	and per meter for Erimchek & other fine cloth	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68$ =19.04	0.07	19.11
(b)	Handloom Weaver Per meter for Plain cloth -	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20$ =34.00	0.12	34.12
	Per Meter for erimchek	$38.00+0.76+1.52+1.00+0.76$ =42.04	0.15	42.19
	Per Meter Tusser mulberry and munga cloth-	$41.00+0.82+1.64+0.82+1.64$ =45.92	0.17	46.09
(c) Pin Winder				
(i)	Power loom if prepared for cloth Per Kg- Hank	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84$ =22.52	0.08	23.60
	prepared from care cloth	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.068$ =19.04	0.07	19.11
(ii)	Handloom per Kg	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32$ =37.30	0.13	37.43
(d) Bobbin Winder				
(i)	Power loom Per kg if prepared hand cloth-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68$ =19.04	0.07	19.11
(ii)	Handloom per Kg	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32$ =37.30	0.13	37.43
(e) Cutting & Shaping-				
(i)	Stable per than of 12 meter- Silk	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68$ =19.04	0.07	19.11
8. Earth Cutting Operation----				
(a)	For every 90 cubic ft- of soft earth-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 Perday
(b)	For every 75 cubic ft- of hard earth-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 Perday
(c)	For every 60 cubic ft-of highly hard earth	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 Perday
Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-				
9. Tea Plantation -				

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	per piece			
(c)	Cutting conversion including Stacking at site of fire wood (size per cubic meter)	$109.00+2.00+4.00+2.00+0.45=117.45$	0.45	121.45
(d) Cutting and Collecting of bamboo(including siding) Per 100 piece-				
(i)	Loggas - Per 100 Pcs.	$314.00+6.00+13.00+6.00+1.00=340.00$	1.00	353.00
(ii)	Tonnas - Per 100 Pcs	$252.00+5.00+10.00+5.00+1.00=273.00$	1.00	283.00
(iii)	Sorahi - Per 100 Pcs	$109.00+2.00+4.00+2.00+0.45=117.45$	0.45	121.45
(iv)	Charcoal Manufactory per bag(35Kg)	$79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33$	0.33	89.33
(v)	Fidder Grass, or thatch grass or sewal grass (per k.g.)	$79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33$	0.33	89.33
(vi)	Sal seed & Bonhimia leaves collection (Per kg)	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=22.50$	0.8	22.58
7. Silk Industry including Manufacturer from pure silk, artificial silk and other staple yarn-				
General Work-				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11780.00 Per Month
Piece Work-				
(a)	Power loom weaver Per meter for plain cloth	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=22.50$	0.08	22.58

RS

GR

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

General Work				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11780.00 Per Month
Piece Work				
(a)	Plucker per plucking of one Kg- of green Leaves	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04$	0.07	19.11
(b)	Person engaged in hocking for preparing 40 nails in a land measuring 0-133 acre-	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.22$	0.22	59.22
(c)	Person engaged in weeding and forking per 100 tea bush-	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.22$	0.22	59.22
10. Lac Manufactory—				
General Work-				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00=11361.00$	44.00	11780.00 Per Month
Piece Work				
(a)	Karigar - for melting 40Kg- of seed lac--	$221.00+4.00+9.00+4.00+1.00=239.00$	1.00	248.00

[Handwritten signatures]

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(b)	<u>Belwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	$190.00+4.00+8.00+4.00+1.00$ =207.00	1.00	215.00
(c)	<u>Pherwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	$115.00+2.00+5.00+2.00+0.48$ =124.48	0.48	129.48
(d)	<u>Kamin & Ghoghiahin</u> - for washing & seperating 40Kg- of seed lac from bhushi, Mullama sand -	$57.00+1.00+2.00+1.00+0.23$ =61.23	0.23	63.23
(e)	Karahia and RangKharhiya ghasander and Mazandar - for washing of 40 Kg of seed lac through washing Machine—	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22$ =57.022	0.22	59.22
(f) Tailor (Khalifa)				
(i)	when using own machine-(per Bhatta)-	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24$ =35.10	0.13	35.23
(ii)	when using employer chine-(per Bhatta)-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68$ =19.04	0.07	19.11
(g)	<u>Crusher</u> - per 40Kg- of Stick lac-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52$ =42.8	0.15	42.95
(h)	<u>Breaker</u> - per 40 Kg-of stick lac-	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32$ =36.96	0.13	37.09
11. Power loom Industry-				
General Work-				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00$ +2.00=397.00	2.00	412.00 Perday

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(b)	<u>Belwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	$190.00+4.00+8.00+4.00+1.00$ =207.00	1.00	215.00
(c)	<u>Pherwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	$115.00+2.00+5.00+2.00+0.48$ =124.48	0.48	129.48
(d)	<u>Kamin & Ghoghiahin</u> - for washing & seperating 40Kg- of seed lac from bhushi, Mullama sand -	$57.00+1.00+2.00+1.00+0.23$ =61.23	0.23	63.23
(e)	<u>Karahia and RangKharhiya ghasander and Mazandar</u> - for washing of 40 Kg of seed lac through washing Machine—	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22$ =57.022	0.22	59.22
(f) Tailor (Khalifa)				
(i)	when using own machine-(per Bhatta)-	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24$ =35.10	0.13	35.23
(ii)	when using employer chine-(per Bhatta)-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68$ =19.04	0.07	19.11
(g)	<u>Crusher</u> - per 40Kg- of Stick lac-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52$ =42.8	0.15	42.95
(h)	<u>Breaker</u> - per 40 Kg-of stick lac-	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32$ =36.96	0.13	37.09
11. Power loom Industry-				
General Work-				
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00$ +2.00=397.00	2.00	412.00 Perday

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00=11361.00$	44.00	11780.00 Per Month
Piece Work				
	pick	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	26	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	28	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	30	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	32	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	34	$21.00+0.42+0.84+0.46+0.84=23.52$	0.08	23.60
	36	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	40	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	42	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	44	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	46	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	48	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	50	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.56$	0.15	42.71
	52	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.56$	0.15	42.71
12.	Plucking and Processing-Kendu leaves			
	General Work-			
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)


Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44= 11961.00$	44.00	11780.00 Per Month
Piece Work				
(a)	Plucking of leaves per 50,000 leaves or 60 paise per 50 leaves-	$1344.00+27.00+54.00+27.00+6.00=1458.00$	6.00	1512
(b)	Packing of Bags Per small bags-	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	Per big bags-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64=46.10$	0.17	46.27
(C)	Grading and bundling per bind of 5 Kg-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64=46.10$	0.17	46.27

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January - June, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1st October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-18/2021 (Part) L&R- 11)

By the order of the Governor of Bihar,


(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.





VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तम्भ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 x4.93 x2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63 x4.93 x2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 x4.93 x2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 x4.93 x2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 x4.93 x2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 x4.93x2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत- $54740.5 \div 6 = 9123.41$

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अनुसूची- I (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.04.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य 2. बीड़ी निर्माण 3. ईंट निर्माण 4. हेयर कटिंग शैलून 5. लादने एवं उतारने के कार्यों 6. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य 7. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग 8. मिट्टी काटने के कार्यों 9. चाय बगान 10. लाह निर्माण 11. पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा) 12. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने ।	अधिसूचना संख्या-1495 दिनांक- 14.03.2024 गजट सं०-267 दिनांक- 15.03.2024	12 नियोजन

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01-09-2022+ 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.10.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के कार्यों : - (सामान्य कार्य)				
1.	अकुशल -	366.00+7.00+15.00+7.00+410= 397.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल-	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=426.00	2.00	428.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=519.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00=634.00	2.00	636.00 प्रतिदिन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

3.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419=11736.00	44.00	11780.00 प्रतिदिन
I.	खदान से निकालना एवं बैल गाड़ी से ढोना—(प्रति 100 घनफीट)			
(क)	1/4 मील के अन्दर और वहां तक	794.00+16.00+32.00+16.00+32.00=890.00	3.00	893.00 प्रतिदिन
(ख)	प्रत्येक 1/4 मील के उपर ढोने के लिए।	182.00+4.00+7.00+4.00+7.00=204.00	1.00	205.00 प्रतिदिन
II.	माइनिंग ट्रौली तोड़ने और परिवहन ट्रौली द्वारा। (प्रति 25 घनफीट कटाव)	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00+=221.00	1.00	222.00 प्रतिदिन
III.	वोल्डर्स बेली तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00=221.00	1.00	222.00 प्रतिदिन
IV.	बोल्डर्स ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)			
(क)	2" x 3"	413.00+8.00+17.00+8.00+17.00=463.00	2.00	465.00
(ख)	2" x 2½"	518.00+10.00+21.00+10.00+21.00=580.00	2.00	582.00
(ग)	1½" x 2"	616.00+12.00+25.00+12.00+25.00=690.00	3.00	693.00
(घ)	1"	1017.00+20.00+41.00+20.00+41.00=1139.00	4.00	1143.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

V.	निज तौलाई से ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 5 फीट का बक्सा)	$67.00+1.00+3.00+1.00+3.00=75.00$	0.28	75.28
VI.	चिप्स तोड़ने वाला (प्रति घनफीट)			
(क)	हाथ द्वारा बनाई गई 3/4" डाउन छरी।	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.32$	0.11	37.43
(ख)	हाथ द्वारा बनाई गई 1" डाउन छरी।	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.32$	0.11	37.43
VII.	मिट्टी काटने वाला-			
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412 प्रतिदिन
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412 प्रतिदिन
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412 प्रतिदिन
नोट:-महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				
VIII.	वोरर्स या ड्रीलर्स प्रति घनफीट	$49.00+0.98+2.00+1.00+2.00=53.00$	2.00	55.20 प्रतिदिन
IX.	माईन्स (एक)	$239.00+5.00+10.00+5.00+10.00=270.00$	1.00	271.00 प्रतिदिन

2/2/24

6 2

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	चौथाई मिल के अन्दर माथे से वोरर्स ढोना) प्रति 25 घनफीट			
X.	बैगन लादने वाला (500 घनफीट के ब्रोडज का पूरा बैगन) बैगन की ढुलाई।	$658.00+13.00+26.00+13.00+26.00=736.00$	3.00	739.00 प्रतिदिन
XI.	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट) प्रति 100 पीस के लिए			
(क)	ब्रेकिंग साईज 9" x 6" x 4" प्रति 100 पीसेज	$814.00+16.00+33.00+16.00+33.00=912.00$	3.00	915
(ख)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की पालिश करना)। प्रति 100 पीसेज	$449.00+9.00+18.00+9.00+18.00=503.00$	1.00	504
(ग)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की 3 से 4 मील तक की दूरी से कटिंग एवं ढुलाई)। 3	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	प्रति 100 पीसेज			
2.	बीड़ी निर्माण—(सामान्य कार्य)			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=426.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=519.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00=634.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00=11736.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन

खण्ड कार्य —

I.	प्रति बीड़ी यदि श्रमिक को इस दर से कमाई किसी भी दिन 43.00 रु० से कम हो तो इस श्रमिक के परिशिष्ट में बतायी गई शर्तों के अनुसार उस दिन के लिए कम से कम 36.00 रु० का भुगतान किया जायेगा।	$354.00+7.00+14.00+7.00+14.00=396.00$	1.00	397
(क)	लेबुल लगाना (एकल) प्रति लाख बीड़ी—	$449.00+9.00+18.00+9.00+2.00+18.00=503.00$	2.00	505
(ख)	लेबुल लगाना (दोहरा) प्रति लाख बीड़ी—	$466.00+9.00+19.00+9.00+19.00=522.00$	2.00	524

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

II.	सेकाई कार्य—			
(क)	तंदुर के सिवाय किसी अन्य तरीके से सेकाई कार्य में नियोजित कर्मचारी प्रति लाख बीड़ी—	$216.00+4.00+9.00+4.00+0.42+9.00=242.00$	1.00	243.00
(ख)	तंदुर द्वारा सेकाई— प्रति लाख बीड़ी—	$220.00+4.00+9.00+4.00+9.00=246.00$	1.00	247
(ग)	गांठ बंधाई (टोकरी गांठ बंधाई) प्रति लाख बीड़ी—	$225.00+5.00+9.00+5.00+9.00=253.00$	1.00	254
3.	ईट निर्माण नियोजन —			
I.	सामान्य कार्य—			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=426.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=519.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+23.00=634.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00=11736.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
II.	खण्ड कार्य —			
(i)	ब्रिक मोल्डर (मिट्टी काटना, मिट्टी सानना, मिट्टी में पानी पटना और	$535.00+11.00+21.00+11.00+21.00=599.00$	2.00	601 प्रतिदिन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	परिया पर मिट्टी लाना सहित) प्रति हजार ईट-			
(ii)	भट्टा में ईट चढ़ाना / उतारना (प्रति हजार ईट-) एवं अकुशल मजदूर (प्रतिदिन)	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412 प्रतिदिन
(iii)	मिस्त्री	$10111.00+202.00+404.00+202.00+404.00=11323.00$	43.00	11366 प्रतिमाह
III.	चिमनी में			
(i)	ब्रिक मोल्डर (मिट्टी काटना, मिट्टी सानना, मिट्टी में पानी पटाना औरपरिया या पगमिल पर मिट्टी लाना सहित)प्रति हजार ईट-	$472.00+9.00+19.00+9.00+19.00=528.00$	2.00	530 प्रतिदिन
(ii)	ईट चढ़ाना / उतारना (प्रति हजार ईट-) एवं अकुशल मजदूर(प्रतिदिन)	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412 प्रतिदिन
(iii)	फायरमैन-	$11238.00+225.00+450.00+225.00+450.00=12588.00$	47.00	12635 प्रतिमाह
(iv)	कोलमैन / चौकीदार / फायर खलासी एवं रवलिसमैन	$9478.00+190.00+379.00+190.00+379.00=10616.00$	40.00	10656 प्रतिमाह
(v)	मेट / ओभर सुपरवाइजर एवं	$10857.00+217.00+434.00+217.00+434.00=12159.00$	46.00	12205 प्रतिमाह

GA

GA

GA

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	मिस्त्री-			
(vi)	मुंशी-	$11462.00+229.00+458.00+229.00+458.00=12836.00$	48.00	12884 प्रतिमाह
4.	हेयर कटिंग सैलून (सामान्य कार्य) -			
1	अकुशल -	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल-	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11781.00 प्रतिदिन
खंड कार्य -				
(i)	प्रति बाल कटाई-	$51.00+1.00+2.00+1.00+0.21=55.21$	0.21	57.21
(ii)	प्रति दाढ़ी बनाई-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.07=18.41$	0.07	19.09
(iii)	प्रति बाल काटना एवं दाढ़ी बनाई-	$63.00+1.00+3.00+1.00+0.26=68.26$	0.26	71.26
(iv)	प्रति सर मुंडन-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20=42.80$	0.15	42.67
(v)	बच्चे-बच्चियों प्रति बाल कटाई-	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.32
(vi)	प्रति सर मालिश -	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.09$	0.05	14.83
(vii)	प्रति शैम्पू करना-	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12=32.92$	0.12	34.32
(viii)	प्रति बाल रंगाई-	$148.00+3.00+6.00+3.00+0.62=160.62$	0.62	166.62
5.	लादने एवं उतारने के कार्यों के नियोजन-			
	सामान्य			

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

कार्य—				
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य:—				
(1)	बोरा, गुड़, चक्की, खाद, कपड़े की गांठ, जूट, रूई, आदि लादने या उतारने टीन या किरासन तेल का ड्राम, सरसों तेल, नारियल तेल और अन्य तेल, डालडा छोवा, पेन्ट्स, तार आदि या कोई अन्य भार (लोड) इस अनुसूचि में उल्लिखित नहीं है। गोदाम या दूकान या सामान रखने का स्थान (स्टोरेजलेश से) से रेलवे वैगन, ट्रक, बैलगाड़ी आदि या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	जाने और ले आने प्रत्येक 200 मीटर या उसके खंड भार (लोड) ले जाने के लिए प्रति भार (लोड) का- प्रतिदिन			
I	20 किलो से कम-	$6.00+0.12+0.24+0.12+0.02=6.50$	0.02	6.74
II	20 किलो से 40 किलो तक	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03= 8.64$	0.03	8.99
III	41 किलो से 65 किलो तक	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04= 11.40$	0.04	11.64
IV	66 किलो से 85 किलो तक-	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05= 14.31$	0.05	14.83
V	86 किलो से 100 किलो तक	$18.00+0.36+0.72+0.36+0.07= 19.43$	0.07	20.15
VI	101 किलो से और उससे अधिक(प्रति दो किलो भार के लिए) (101 किलो ग्राम के उपर)	$(19.26+3.09)+(0.38+0.06)+ (0.77+0.12)+ (0.38+0.06)= (20.79+3.33)$	(0.08+0.01)	(21.64+3.46)
(2)	बोरा को भरना या फिर से भरना या तौलना या सिलाई करना या टीन ड्राम को वेल्डिंग करना या बोरा, टीन, ड्राम और अन्य किसी भार (लोड) को एक ही जगह ठीक से रखना-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00= 397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
(i)	बोरा, टीन, ड्राम को भरना या फिर से भरना या ठीक करना और अन्य कोई भार-			

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	भार (लोड) का -			
(क)	40 किलो तक-	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(ख)	41 किलो से 65 किलो तक-	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.67$	0.03	8.99
(ग)	66 किलो से 100 किलो तक-	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04=11.24$	0.04	11.64
(घ)	101 किलो और उससे अधिक- प्रति दस किलो ग्राम भार के लिए (101 किलोग्राम से उपर)-	$(19.14+4.31)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.38+.08)= (20.67+4.64)(0.08+0.01)$	(0.00+0.00)	(21.44+4.81)
(ii)	एक बोरा की सिलाई करना या एक टीन या एक ड्राम को बेल्टिंग करना या 10 किलो से अधिक	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(3)	बांस, लकड़ी का पोल, लकड़ी का कुन्दा, जलावन की लकड़ी और ईख लादना या उतारना-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00+2.00=397.00$	2.00	412
(i)	बांस और लकड़ी का पोल लादना-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00=799.00$	3.00	828.00
(ख)	प्रति ट्रक-	$350.00+7.00+14.00+7.00+1.00=378.00$	1.00	393.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29$	0.29	79.29
(ii)	लकड़ी का कुन्दा एवं जलावन को लादना-			

G

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00=799.00$	3.00	828.00
(ख)	प्रति ट्रक-	$350.00+7.00+14.00+7.00+1.00=379.00$	1.00	393.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42+0.29=109.29$	0.29	113.29
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29$	0.29	79.29
(iii)	बांस, लकड़ी का पोल, लकड़ी कुन्दा एवं जलावन की लकड़ी उतारना-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$239.00+5.00+10.00+5.00+1.00=260.00$	1.00	270.00
(ख)	प्रति ट्रक-	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$35.00+0.70+1.40+1.00+0.14=38.14$	0.14	39.54
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.08=22.50$	0.08	23.34
(iv)	ईख लादना एवं उतारना प्रति क्विन्टल-	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.26$	0.05	14.83
(4)	सीमेन्ट या मिट्टी या शीशे से निर्मित ईट, फायर ब्रिक्स टाईल्स, फेर्गाईल्सवेयर्स, स्टोन पाईल्डर्स वाली और कोयला को लादना और उतारना-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412
(i)	सीमेन्ट या मिट्टी या शीशे से निर्मित ईट, फायर ब्रिक्स टाईल्स, फेर्गाईल्सवेयर्स को लादना एवं उतारना :-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00=2184.46$	8.46	2192.92
(ख)	प्रति ट्रक-	$875.00+18.00+35.00+18.00+3.67=949.67$	3.67	985.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$253.00+5.00+10.00+5.00+1.00=274.00$	1.00	284.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$177.00+4.00+7.00+4.00+1.00=193.00$	1.00	200.00
(ii)	ईंट लादना -			
(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$1570.00+31.00+63.00+31.00+7.00=1702.00$	7.00	1765.00
(ख)	प्रति ट्रक-	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00=796.00$	3.00	828.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$213.00+4.00+9.00+4.00+0.89=230.89$	0.89	239.89
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$155.00+3.00+6.00+3.00+0.65=167.65$	0.65	174.65
(iii)	ईंट उतारना -			
(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$1033.00+21.00+41.00+21.00+4.00=1157.00$	4.00	1161.00
(ख)	प्रति ट्रक-	$499.00+10.00+20.00+10.00+2.00=541.00$	2.00	563.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00=173.00$	0.65	174.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(iv)	स्टोन चीप्स एवं चाली को लादना एवं उतारना-प्रति 100 सी०एफ०टी०			
(क)	लादना-	$130.00+3.00+5.00+3.00+5.00=146.00$	0.54	146.54
(ख)	उतारना-	$89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37$	0.37	101.37
(v)	स्टोन बोल्डर्स एवं ब्लास्ट को लादना एवं उतारना- प्रति 100 सी०एफ०टी०			
(क)	लादना-	$123.00+2.00+5.00+2.00+0.51=132.51$	0.51	137.51
(ख)	उतारना-	$89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37$	0.37	101.37
(5)	आयरनरॉड्स, जी०सीट्स, आयरन पाईप्स, हीयूम पाईप मशीनरीज इक्वीपमेंट्स एवं अन्य हार्ड वेयर्स	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=395.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन

RK

6

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	को लादना एवं उतारना-			
(i)	लादना-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$1764.00+35.00+71.00+35.00+7.00$ $=1912.00$	7.00	1983.00
(ख)	प्रति टायर वाली गाड़ी ट्रक-	$814.00+16.00+33.00+16.00+3.00$ $=882.00$	3.00	915.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$237.00+5.00+9.00+5.00+1.00=257$.00	1.00	266.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$200.00+4.00+8.00+4.00+1.00=217$.00	1.00	225.00
(ii)	उतारना-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन-	$1190.00+24.00+48.00+24.00+5.00$ $=1291.00$	5.00	1339.00
(ख)	प्रति ट्रक-	$601.00+12.00+24.00+12.00+3.00$ $=652.00$	3.00	676.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$182.00+4.00+7.00+4.00+1.00$ $=197.00$	1.00	205.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132$.00	1.00	137.00
(6)	कोयला को लादना एवं उतारना-	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ $=397.00$	2.00	412.00
(i)	लादना-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला)-	$712.00+14.00+28.00+14.00+3.00$ $=771.00$	3.00	799.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी0 एफ0 टी0-)	$443.00+9.00+18.00+9.00+2.00$ $=481.00$	2.00	499.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00$ $=132.00$	1.00	137.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109$.42	0.42	113.42
(ii)	उतारना-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन 22 टन की क्षमता	$483.00+10.00+19.00+10.00+2.00$ $=524.00$	2.00	543.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	वाला—			
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी०एफ०टी०—)	$279.00+6.00+11.00+6.00+1.00$ $=303.00$	1.00	314.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$66.00+1.00+3.00+1.00+0.29$ $=71.29$	0.29	74.29
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$41.00+0.82+1.64+1.00+0.17=44.0$ 0	0.17	45.81
(7)	चूना, बालू, क्ले (clay) एवं मिट्टी) को लादना एवं उतारना—	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ $=397.00$	2.00	412.00
(i)	लादना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला—)	$557.00+11.00+22.00+11.00+2.00$ $=603.00$	2.00	625.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी०एफ० टी०—)	$324.00+6.00+13.00+6.00+1.00$ $=350.00$	1.00	363.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$159.00+3.00+6.00+3.00+1.00=172$ $.00$	1.00	170.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00$ $=132.00$	1.00	137.00
(ii)	उतारना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला—)	$393.00+8.00+16.00+8.00+2.00$ $=425.00$	2.00	443.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी०एफ० टी०—)	$173.00+3.00+7.00+3.00+1.00$ $=187.00$	1.00	194.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$90.00+2.00+4.00+2.00+0.37$ $=98.37$	0.37	102.37
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$65.00+1.00+3.00+1.00+0.27$ $=70.27$	0.27	73.27
(8)	प्रति सीमेन्ट बोड़ा को लादना एवं	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05$ $=14.31$	0.05	14.83

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

उत्तरना--				
6.	वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य-- (सामान्य कार्य)			
1	अकुशल -	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल-	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00$ =413.00	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00$ =502.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00$ =613.00	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षणीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44$ = 11361.00	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य -				
(क)	विभिन्न प्रकार के लकड़ी के कुन्दे (लौंग काटने वाला गिराना फालिंग, डिमार्किंग और कौपिस फोरेस्ट में लादने के स्थान में जमा कराना(पोल) सेलेक्स सर्किल में वृक्ष काटकर गिराना लोजिंग(टोना 4"x5"आदि).प्रति क्यूबिक मीटर	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.67$	0.03	8.99
(ख)	कनवरसन ऑफ ट्राम लाईन ऐट फेंसिंग पोस्ट- प्रति टुकड़ा	$11.00+0.22+0.44+0.22+0.04$ =12.26	0.04	12.70

Rer

6 a

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(ग)	कटिंग, कनवरसन इन्क्लूडिंग स्ट्रेंकिंग एट साईट आफ फायरउड (साईज क्यूवीक मीटर)–	$109.00+2.00+4.00+2.00+0.45$ $=117.45$	0.45	121.45
(घ)	बॉस काटना एवं एकत्रित करना–			
(i)	लग्गा–प्रति 100	$314.00+6.00+13.00+6.00+1.00$ $=340.00$	1.00	353.00
(ii)	टोना–प्रति 100	$252.00+5.00+10.00+5.00+1.00$ $=273.00$	1.00	283.00
(iii)	सरही– प्रति 100	$109.00+2.00+4.00+2.00+0.45=117.45$	0.45	121.45
(iv)	चारकोल मैन्यूफैक्चरिंग– प्रति 35 किलोग्राम का बैग	$79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33$	0.33	89.33
(v)	फीडरग्रास, थैच ग्रास या सेवाल ग्रास– प्रति 35 किलोग्राम बैगका –	$79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33$	0.33	89.33
(vi)	साल सीड एवं बोनहिनिया पत्ता जमा करना– प्रति किलोग्राम–	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.8=22.50$	0.08	22.58
7.	असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपुल धागों से निर्माण सहित			
1	अकुशल –	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल–	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00$ $=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00$ $=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00$ $=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44$ $.00= 11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य –				

रि

वे

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(क)	पावरलूम वीभर- के लिए और प्रतिमीटर एरीचेक उत्कृष्ट कपड़े के लिए-तथा	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84$ =22.50	0.08	23.58
	अन्य प्रति मीटर सादे कपड़े-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68$ =18.41	0.07	19.11
(ख)	हैंडलूम वीभर- प्रति मीटर सादे कपड़े के लिए-	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20$ =34.00	0.12	34.32
	प्रति मीटर एरीचेक तथा अन्य उत्कृष्ट कपड़े के लिए-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.64$ =45.92	0.15	42.67
	प्रति मीटर तसर, मलवरी, मुंगा कपड़े के लिए-	$41.00+0.82+1.64+1.00+0.17$ =44.17	0.17	45.81
(ग)	पिन वाईन्डर	$21.00+0.42+0.84+0.84=23.52$	0.08	23.34
(i)	पावरलूम-			
(क)	प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े			
(ख)	प्रति किलोग्राम धोने से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=$ 19.04	0.07	19.11
(ii)	हैंडलूम-प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32$ =37.30	0.13	37.43
(घ)	बोविन बाईन्डर-			
(i)	पावरलूम-प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.07+0.68$ =19.04	0.07	19.11
(ii)	हैंडलूम-प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=$ 37.30	0.13	37.43
(ङ.)	कटाई-छटाई			
	स्टेपुल (प्रति थान)	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68$ =19.04	0.07	19.11

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	12 मीटर का सिल्क-			
8.	मिट्टी काटने का कार्य-			
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
नोट:-महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				
9.	चाय बगान का नियोजन- सामान्य कार्य -			
1	अकुशल -	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ =397.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल-	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00$ =413.00	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00$ =502.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00$ =613.00	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/पर्यवेक्ष णीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00$ +44= 11361.00	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य -				
(क)	तोड़ने वाले 1 किलो ग्राम हरी पत्ती तोड़ने के लिए-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=$ 19.04	0.07	19.11
(ख)	कुदाली से खोदने में लगे व्यक्ति-0. 133 एकड़ जमीन	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22$ =57.22	0.22	59.22

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	में 40 नाल तैयार करने के लिए—			
(ग)	मिराई और विसाखन (फोरकिंग में लगे व्यक्ति) प्रति 100 चाय झाड़ी (टी वुश) पर—	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.22$	0.22	59.22
10.	लाह निर्माण (सामान्य कार्य) —			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
	खण्ड कार्य —			
(क)	कारीगर—प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$221.00+4.00+9.00+4.00+1.00=239.00$	1.00	248.00
(ख)	वेलवईया—प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$190.00+4.00+8.00+4.00+1.00+0.48=206.48$	0.48	214.48
(ग)	फरवईया— प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$115.00+2.00+5.00+2.00+0.48=124.48$	1.00	129.48
(घ)	कामीन एवं घोधियाहीन— प्रति 40 किलो सीड लाह की भूसी,	$57.00+1.00+2.00+1.00+0.23=61.23$	0.23	63.23
(ड.)	करहिया,	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.0$	0.22	59.22

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	रंगकरहिया, घसंदर एवं मैयनदर-प्रति 40 किलोसीड लाह की धोलाई मसीन से धोने के लिए-	0		
(च)	टेलर (खलिफा)- (1) जब अपना मसीन ब्यवहार करे (प्रति भट्टा) -	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24$ $=35.10$	0.13	35.23
	(2) जब नियोजक का मसीन	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=$ 19.04	0.07	19.11
(छ)	क्रशर-प्रति 40 किलो स्टीक लाह-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.8$	0.15	42.95
(ज)	ब्रेकर- प्रति 40 किलो स्टीक	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32$ $=36.96$	0.13	37.09
11.	पावरलूम इन्डस्ट्रीज (बिजली करघा)-			
	सामान्य कार्य -			
1.	अकुशल -	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00$ $=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल-	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00$ $=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00$ $=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00$ $=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00$ $= 11317.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
	खण्ड कार्य-			
	पीक-	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84$ $=23.52$	0.08	23.60

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

	26	$21.00-0.42+0.84+0.42+0.84$ =23.52	0.08	23.60
	28	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84$ =23.52	0.08	23.60
	30	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84$ =23.52	0.08	23.60
	32	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84$ =23.52	0.08	23.60
	34	$21.00+0.42+0.84+0.46+0.84$ =23.52	0.08	23.60
	36	$21.00+0.42+0.84+0.46+1.20$ =34.00	0.12	34.12
	40	$21.00+0.42+0.84+0.46+1.20$ =34.00	0.12	34.12
	42	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20$ =34.00	0.12	34.12
	44	$30.00+0.60+1.00+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	46	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20$ =34.00	0.12	34.12
	48	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20$ =34.00	0.12	34.12
	50	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52$ =42.56	0.15	42.71
	52	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52$ =42.56	0.15	42.71
12.	केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने के नियोजन-			
1	अकुशल -	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल-	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00$ =502.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00$ =613.00	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44$ = 113961.00	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य-				

SV

B or

VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(क)	पत्ता तोड़ना प्रति 50000 पत्ते अथवा 60 पैसा प्रति 50 पत्ते—	$1344.00+27.00+54.00+27.00+6.00$ $=1458.00$	6.00	1512
ख)	बोरा भरना—			
	प्रति छोटा बोरा—	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=$ 23.52	0.08	23.60
	प्रति बड़ा बोरा—	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64$ $=46.10$	0.17	46.27
(ग)	ग्रेड में छोटना और बन्डल बनाना प्रतिबिन्डा (5 किलो का)—	$41.00+0.82+1.64+1.00+0.64=$ 46.10	0.17	46.27

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस विन्दु पर आधारित होगा जिसपर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूचि के स्तंभ -4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस खंड दर पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2023 के औसत के आधार पर 1 अप्रैल, 2024 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।


(सं०-5/एम०डब्लू०-40-18/2021 श्र०सं०-11)

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

एस० ओ०— दिनांक— का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-18/2021 श्र०सं०-12)

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-18/2021 (खण्ड) श्र०सं०- 12 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


30.9.24
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-18/2021 (खण्ड) श्र०सं०- 12 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30.9.24
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-18/2021 (खण्ड) श्र०सं०- 12 पटना, दिनांक- 30/09/2024

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।






VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-18/2021 (खण्ड) श्र०सं०- 12 पटना, दिनांक- 30/09/2024
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



30.9.24
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- 30/09/2024

सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30.9.24
(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st April 2025

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 24	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
अगस्त, 24	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
सितम्बर, 24	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
अक्टूबर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
नवम्बर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
दिसम्बर, 24	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
योग :-56620.62			

वर्ष 2024 के द्वितीय जुलाई, से दिसम्बर, 2024 का औसत- $56620.62 \div 6 = 9436.77$

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

अनुसूची-1 (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	77 नियोजन- (69 सामान्य कार्य ,विक्रय प्रोत्साहन नियोजन, घरेलु कामगार का नियोजन, चार नियोजन, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी एवं चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार)	अधिसूचना संख्या-(03,04),(01,02)(07,08),(09,10), दिनांक-30.09.2024 गजट सं०-1102,1103,1100,1104 दिनांक-21.11.2024	77- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक कारखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्री एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अवरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेकट्रीज, फायर त्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक मट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारिंटिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग (70) विक्रय प्रोत्साहन नियोजन (71)घरेलु नियोजन (72) पापड़ उद्योग, (73.) नाविक के नियोजन, (74.) अगरबत्ती उद्योग, (75.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीनप्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) (76) सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कमी (77) चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022+01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024+01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2025 से प्रभावी होगी	01.04.2025 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00	12.00	424.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00	12.00	440.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/सिपिकीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00	332.00	12112.00 प्रतिमाह

नोट:-घरेलु नियोजनों में एक घंटा कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर प्रतिदिन की अधिसूचित दर में आठ (8) से भाग देकर प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार मासिक दर की गणना दैनिक दर में 26 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई-दिसम्बर, 2024** के औसत के आधार पर **01 अप्रैल, 2025** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

टिप्पणी:— (क) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।


(ख) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(घ) पुरुष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-1659)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0ओ0


दिनांक-

का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-1660)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2024	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
August, 2024	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
September, 2024	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
October, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
November, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
December, 2024	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
Total			56620.62
Second Half Yearly Average of the year July to December,2024 $56620.62 \div 6 = 9436.77$			

SCHEDULE-I(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.10.2024	Total
1	2	3	4
1	77 Employment – General Work, Sales promotion, Domestic Workers, Four Employments, Workers employed through outsourcing in government offices and workers employed through outsourcing in sugar industry)	Notification No- —,(03,04),(01,02)(07,08),(09,10) Dated- 30.09.2024 Gazette No.- 1102,1103,1100,1104 Dated- 21.11.2024	77 Scheduled Employment

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries

(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology (70) Sales promotion employees (71) Domestic Workers (72) Papad Industry (73) Sailors employment (74) Agarbati Industry (75) Employment of Safaies Karamchairs (Excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993) (76) Workers employed through outsourcing in government offices (77) Workers employed through outsourcing in sugar industry.

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2025 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2025 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00	12.00	424.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00	12.00	440.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00	15.00	536.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780	332.00	12112.00 Per Month


Note:- The Minimum wage rate for one hour in domestic employment will be obtained by dividing the daily notified rates by 8. Similarly the monthly rate will be calculated by multiplying the daily rate by 26.

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July - December, 2024 will be payable at the aforesaid rates from 1st April, 2025 and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

Note:- (a) The conversion of monthly minimum wages into daily rates shall be obtained by dividing it by 26 and the conversion of daily wage rates into monthly wage rates shall be obtained by multiplying it by 26.

(b) The above proposed rates of minimum wages include remuneration to workers for the day of rest in a period of seven days.

(c) For overtime work on the weekly rest day or on any other day, a workers shall be entitled to be paid twice the wages for overtime work at the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum wages Rules, 1951.



VEDIKA CONSULTANCY


(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

(d) Male and female workers shall be receive the same rate of wages for the same work or similar type of work.


(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 1659)

By the order of the Governor of Bihar,



(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1660 पटना, दिनांक- 28/3/25
प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1660 पटना, दिनांक- 28/3/25
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1660 पटना, दिनांक- 28/3/25
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण


VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com


विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(राजीव रजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1660 पटना, दिनांक- 28/3/25

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राजीव रजन)
संयुक्त सचिव।



VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

With effect from 01st October 2025

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1560) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2025

एस0 ओ0 167, दिनांक 24 सितम्बर 2025—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) उल्लेखित अनुसूचित 89 नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) में उल्लेखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परिवर्तित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित महीनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2(क) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

(परिवर्तित मूल्य सूचकांक)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष-2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष- 1960-100)
1	2	3	4
जनवरी, 25	143.2	4.63 X4.93 X2.88	9,413.76
फरवरी, 25	142.8	4.63 X4.93 X2.88	9,387.47
मार्च, 25	143	4.63 X4.93 X2.88	9,400.61
अप्रैल, 25	143.5	4.63 X4.93 X2.88	9,433.48
मई, 25	144	4.63 X4.93 X2.88	9,466.35
जून, 25	145	4.63 X4.93 X2.88	9,532.09
योग :-			56633.76
वर्ष 2025 के प्रथम वर्ष जनवरी, से जून, 2025 का औसत-56633.76÷6 =9438.96			

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

2

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

नोट:- दिनांक-01.04.2025 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ -अधिसूचना संख्या-(1659,1660) दिनांक-28.03.2025; गजट सं०-232, दिनांक-08.04.2025 तथा अधिसूचना संख्या-1665, 1666 दिनांक- 28.03.2025; गजट संख्या-266, दिनांक-09.04.2025।

अनुसूची-1 (ब) (अधिसूचित गैर-कृषि नियोजनों की सूची)

- (1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर
- (2) अल्मुनियम उद्योग
- (3) खंडसारी उद्योग
- (4) केमिकल एवं फर्मास्यूटिकल उद्योग
- (5) साबुन निर्माण उद्योग
- (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेडेड प्रोडक्ट्स उद्योग
- (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग
- (8) ग्लास शीट निर्माण
- (9) बन्दूक करखाने
- (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
- (11) पेपर उद्योग
- (12) लौण्डीज एंड वासिंग
- (13) होजियरी निर्माण
- (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग
- (15) चर्म वस्तु निर्माण
- (16) उड वर्क्स फर्नीचर
- (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स
- (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस
- (19) फिशरीज
- (20) खादी एवं ग्राम उद्योग
- (21) प्राईवेट फेशीज एंड एल.टी.सी
- (22) जिल्दसाजी उद्योग
- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
- (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
- (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
- (26) प्लाईउड उद्योग
- (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग
- (28) ढलाई (फाउन्डी) उद्योग
- (29) रबड़ एवं कम्पाउंड उद्योग
- (30) बिस्कुट उद्योग
- (31) कोल ब्रिकेट उद्योग
- (32) सिलार्ड उद्योग
- (33) हैंडलूम उद्योग
- (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स
- (35) डिस्ट्रीलरीज
- (36) प्लास्टिक उद्योग
- (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग
- (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर)
- (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्म्स
- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
- (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं
- (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल
- (43) तेल मिल

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

3

- (44) मुद्रणालय
- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान
- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
- (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले
- (48) कोल्ड स्टोरेज
- (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)
- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य
- (51) सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य
- (52) बैकरीज एवं कन्फेक्सीरीज
- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें
- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं
- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान
- (56) सिनेमा उद्योग
- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान
- (58) प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी
- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग
- (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स
- (62) हार्ड कोक भट्टे
- (63) कूरियर सेवा
- (64) चूड़ा मिल
- (65) इलेक्ट्रोकारिस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग
- (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
- (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
- (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य
- (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग
- (70) विक्रय प्रोत्साहन नियोजन
- (71) घरेलू नियोजन
- (72) पापड़ उद्योग,
- (73.) नाविक के नियोजन,
- (74.) अगरबत्ती उद्योग,
- (75) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिपेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिपिद्ध क्रिया-कलापों को छोड़कर)
- (76) सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी
- (77) चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार
- (78) पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य
- (79) बीड़ी निर्माण
- (80) ईट निर्माण
- (81) हेयर कटिंग शैलून
- (82) लादने एवं उतारने के कार्य
- (83) वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य
- (84) असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग
- (85) मिट्टी काटने के कार्य
- (86) चाय बगान (87) लाह निर्माण
- (88) पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा)
- (89) केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करना।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

4

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

अनुसूची -II
(01.10.2025 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें)

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022+01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024+01.10.2024+01.04.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि (दिनांक-01.10.2025 से प्रभावी)	01.10.2025 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00 =424.00	4.00	428.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00 15.00+2.00+12.00=440.00	4.00	444.00 प्रतिदिन
3	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+ 19.00+2.00+15=536.00	5.00	541.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+ 2.00+18=654.00	6.00	660.00 प्रतिदिन

नोट:-घरेलु नियोजनों में एक घंटा कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर प्रतिदिन की अधिसूचित दर में आठ (8) से भाग देकर प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार मासिक दर की गणना दैनिक दर में 26 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं।

उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

उक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2025 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2025 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

5

अनुसूची-III
(अधिसूचित-12 नियोजनों के लिए खण्ड-दर)
78. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के कार्य

I	खदान से निकालना एवं बैल गाड़ी से ढोना-(प्रति 100 घनफीट)	दिनांक-01.09.2022+01.10.2022 +01.04.2023+01.10.2023+01.04. 2024+ 01.10.2024+01.04.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	परिवर्तनशील महुँगाई भत्ता की राशि (दिनांक-01.10.2025 से प्रभावी)	01.10.2025 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें।
(I)	1/4 मील के अन्दर और वहाँ तक	794.00+16.00+32.00+16.00+ 32.00+3.00+25.00=918.00	8.00	926.00
(II)	प्रत्येक 1/4 मील के उपर ढोने के लिए।	182.00+4.00+7.00+ 4.00+7.00+1.00+ 6.00=211.00	2.00	213.00
II	माइनिंग- तोड़ने और ट्रौली द्वारा परिवहन । (प्रति 25 घनफीट कटाव)	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00 +1.00+6.00=228.00	2.00	230.00
III	वोल्डर्स बेली तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00 +1.00+ 6.00=228.00	2.00	230.00
IV	बोल्डर्स ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)			
(I)	2" x 3"	413.00+8.00+17.00+ 8.00+17.00+2.00+ 13.00=478.00	4.00	482.00
(II)	2" x 2½"	518.00+10.00+21.00+10.00+2 1.00+2.00+ 13.00=595.00	5.00	600.00
(III)	1½" x 2"	616.00+12.00+25.00+12.00+2 5.00+3.00+ 20.00=713.00	6.00	719.00
(IV)	1"	1017.00+20.00+41.00+20.00+ 41.00+4.00+32.00= 1175.00	10.00	1185.00
V	निज तौलाई से ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 5 फीट का बक्सा)	67.00+1.00+3.00+1.00+3.00+ 0.28+2.00 = 77.28	0.70	77.98
VI	चिप्स तोड़ने वाला (प्रति घनफीट)			
(I)	हाथ द्वारा बनाई गई ¾" डाउन चर्सी।	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+ 0.11+1.00 =38.41	0.3	38.71
(II)	हाथ द्वारा बनाई गई 1" डाउन चर्सी।	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+ 0.11+1.00 =38.41	0.3	38.71
VII	मिट्टी काटने वाला-			
(I)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	366.00+7.00+15.00+ 7.00+ 15.00+2.00+ 12.00=424.00	4.00	428.00
(II)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	366.00+7.00+15.00+ 7.00+ 15.00+2.00+ 12.00=424.00	4.00	428.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

6

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

(III)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	366.00+7.00+15.00+ 7.00+ 15.00+2.00+ 12.00=424.00	4.00	428.00
नोट:-महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				
VIII	वोरर्स या डीलर्स प्रति घनफीट	49.00+0.98+2.00+1.00+2.00+ 0.20+2.00 =57.18	0.49	57.67
IX	माईन्स (एक चौथाई मिल के अन्दर माथे से वोरर्स डोना) प्रति 25 घनफीट	239.00+5.00+10.00+ 5.00+ 10.00+1.00+8.00=278.00	2.00	280.00
X	बैगन लादने वाला (500 घनफीट के ब्रोडज का पूरा बैगन) बैगन की ढुलाई।	658.00+13.00+26.00+13.00+ 26.00+3.00+ 21.00=750.00	7.00	757.00
XI	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट) प्रति 100 पीस के लिए			
(I)	ब्रेकिंग साईज 9" x 6" x 4" प्रति 100 पीसेज	814.00+16.00+33.00+16.00+ 33.00+3.00+ 26.00=941.00	8.00	949.00
(II)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की पालिश करना)। प्रति 100 पीसेज	449.00+9.00+18.00+ 9.00+ 18.00+1.00+ 14.00=518.00	4.00	522.00
(III)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की 3 से 4 मील तक की दूरी से कटिंग एवं ढुलाई)। 3 प्रति 100 पीसेज	366.00+7.00+15.00+ 7.00+15.00+2.00+ 12.00=424.00	4.00	428.00
79. बीड़ी निर्माण				
I	लेबुल लगाना			
(I)	लेबुल लगाना (एकल) प्रति लाख बीड़ी-	449.00+9.00+18.00+ 9.00+2.00+18.00+ 2.00+ 16.00 =523.00	4.00	527.00
(II)	लेबुल लगाना (दोहरा) प्रति लाख बीड़ी-	466.00+9.00+19.00+ 9.00+19.00+2.00+ 15.00=539.00	5.00	544.00
II	सेकाई कार्य-			
(I)	तंदुर के सिवाय किसी अन्य तरीके से सेकाई कार्य मैनियोजित कर्मचारी प्रति लाख बीड़ी-	216.00+4.00+9.00+ 4.00+ 9.00+1.00+7.00 =250.00	2.00	252.00
(II)	तंदुर द्वारा सेकाई-प्रति लाख बीड़ी-	220.00+4.00+9.00+ 4.00+ 9.00+1.00+7.00 =254.00	2.00	256.00
(III)	गांठ बंधाई (टोकरी गांठ बंधाई) प्रति लाख बीड़ी-	225.00+5.00+9.00+ 5.00+ 9.00+1.00+7.00 =261.00	2.00	263.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

7

80. ईंट निर्माण नियोजन				
I	ईंट बनाना एवं चढ़ाना अथवा उतारना			
(i)	ब्रिक मोल्डर (मिट्टी काटना, मिट्टी सानना, मिट्टी में पानी पटाना और परिया पर मिट्टी लाना सहित) प्रति हजार ईंट—	535.00+11.00+21.00+11.00+21.00+2.00+17.00=618.00	5.00	623.00
(ii)	भट्टा में ईंट चढ़ाना अथवा उतारना (प्रति हजार ईंट—)	366.00+7.00+15.00+ 7.00+15.00+2.00 +12.00 =424.00	4.00	428.00
81. हेयर कटिंग सैलून				
I	खंड कार्य			
(i)	प्रति बाल कटाई—	51.00+1.00+2.00+ 1.00+2.00+0.21+2.00=59.21	1.00	60.21
(ii)	प्रति दाढ़ी बनाई—	17.00+0.34+0.68+ 0.34+0.68+0.07+1.00=20.11	0.17	20.28
(iii)	प्रति बाल काटना एवं दाढ़ी बनाई—	63.00+1.00+3.00+ 1.00+3.00+0.26+2.00 =73.26	1.00	74.26
(iv)	प्रति सर मुंडन—	38.00+0.76+1.52+ 1.00+1.20+0.15+1.00= 43.63	0.38	44.01
(v)	बच्चे-बच्चियों प्रति बाल कटाई—	30.00+0.60+1.20+ 1.00+1.20+0.12+1.00= 35.12	0.30	35.42
(vi)	प्रति सर मालिश	13.00+0.26+0.52+ 0.26+0.52+0.05+0.4 = 15.11	0.13	15.24
(vii)	प्रति शैम्पू करना—	30.00+0.60+1.20+ 1.00+1.20+0.12+1.00= 35.12	0.30	35.42
(viii)	प्रति बाल रंगाई—	148.00+3.00+6.00+ 3.00+6.00+0.62+5.00=171.62	1.00	172.62
82. लादने या उतारने के कार्यों के नियोजन				
I	बोरा, गुड़, चक्की, खाद, कपड़े की गांठ, जूट, रूई, टीन या किरासन तेल का ड्राम, सरसों तेल, नारियल तेल और अन्य तेल, डालडा छोवा, पेन्ट्स, तार आदि या कोई अन्य भार (लोड) जो इस सूची में उल्लिखित नहीं है, को लादने अथवा उतारने का कार्य। गोदाम, दूकान या सामान रखने के स्थान (स्टोरेज) से रेलवे वैगन, ट्रक, टेला, बैलगाड़ी आदि में 200 मीटर की दूरी तक समान ले जाने अथवा ले आने का कार्य।			
(i)	20 किलो से कम—	6.00+0.12+0.24+0.12+0.24+0.02+0.2=6.94	0.06	7.00
(ii)	20 किलो से 40 किलो तक	8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03+0.25 =9.24	0.08	9.32
(iii)	41 किलो से 65 किलो तक	10.00+0.20+0.40+ 0.20+0.40+0.04+0.31=11.55	0.1	11.65
(iv)	66 किलो से 85 किलो तक—	13.00+0.26+0.52+ 0.26+0.52+0.05+0.41=15.02	0.13	15.15

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

8

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

(v)	86 किलो से 100 किलो तक	$18.00+0.36+0.72+ 0.36+0.72+0.07+1.00=21.23$	0.18	21.41
(vi)	101 किलो से और उससे अधिक (प्रति दो किलो भार के लिए) (101 किलो ग्राम के उपर)	$71.00+0.44+1.00+ 0.44+1.00+0.09+0.71= 75.00$	0.71	75.71
II	बोरा को भरना या फिर से भरना या तौलना या सिलाई करना या टीन ड्राम को वेल्डिंग करना या बोरा, टीन, ड्राम और अन्य किसी भार (लोड) को एक ही जगह ठीक से रखना-			
(i)	40 किलो तक-	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20+0.16 =5.78$	0.05	5.83
(ii)	41 किलो से 65 किलो तक-	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03+0.25= 9.24$	0.08	9.32
(iii)	66 किलो से 100 किलो तक-	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.40+0.04+0.31=11.55$	0.10	11.65
(iv)	101 किलो और उससे अधिक- प्रति दस किलो ग्राम भार के लिए (101 किलोग्राम से उपर)-	$23.00+0.46+1.00+0.46+ 1.00+0.09+0.73= 27.00$	0.23	27.23
(v)	एक बोरा की सिलाई करना या एक टीन या एक ड्राम को वेल्डिंग करना या 10 किलो से अधिक भार के स्केल पर तौलना)-	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20+0.16 = 5.96$	0.05	6.01
III	बांस, लकड़ी का पोल, लकड़ी का कुन्दा, जलावन की लकड़ी और ईख लादना अथवा उतारना			
(i)	प्रति रेलवे वैगन-	$737.00+15.00+29.00+15.00+29.00+3.00+23.00=851.00$	7.00	858.00
(ii)	प्रति ट्रक-	$350.00+7.00+14.00+7.00+14.00+1.00+11.00=404.00$	4.00	408.00
(iii)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$101.00+2.00+4.00+2.00++4.00+0.42+3.00=116.42$	1.00	117.42
(iv)	प्रति बैलगाड़ी	$71.00+1.00+3.00+ 1.00+3.00+0.29+2.00=81.29$	0.71	82.00
(v)	ईख लादना एवं उतारना प्रति क्विन्टल-	$13.00+0.26+0.52+ 0.26+0.52+0.05+0.41=15.02$	0.13	15.15
IV	टाईल्स, फ्रेजाईल वेयर्स, स्टोन पार्इल्डर्स वाली और कोयला को लादना अथवा उतारना-			
(i)	प्रति रेलवे वैगन-	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00+8.46+ 64.00=2329.46$	20.00	2349.46
(ii)	प्रति ट्रक-	$875.00+18.00+35.00+18.00+35.00+3.67+ 28.00 =1013.00$	9.00	1022.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

9

(iii)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$253.00+5.00+10.00+ 5.00+ 10.00+1.00+ 8.00=292.00$	3.00	295.00
(iv)	प्रति बैलगाड़ी	$177.00+4.00+7.00+ 4.00+7.00+1.00+6.00=206.00$	2.00	208.00
V	सीमेन्ट या मिट्टी या शीशे से निर्मित ईट, फायर ब्रिक्स को लादना अथवा उतारना			
(i)	प्रति रेलवे वैगन-	$1570.00+31.00+63.00+31.00+ 63.00+7.00+ 50.00=1815.00$	16.00	1831.00
(ii)	प्रति ट्रक-	$737.00+15.00+29.00+15.00+ 29.00+3.00+ 23.00=851.00$	7.00	858.00
(iii)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$213.00+4.00+9.00+ 4.00+ 9.00+0.89+7.00 =246.89$	2.00	248.89
(iv)	प्रति बैलगाड़ी	$155.00+3.00+6.00+ 3.00+6.00+0.65+5.00=178.65$	2.00	180.65
VI	स्टोन चीप्स एवं चाली को लादना अथवा उतारना-			
(i)	प्रति 100 सी0एफ0टी0 लादना अथवा उतारना	$130.00+3.00+5.00+ 3.00+ 5.00+0.54+4.00 =150.54$	1.00	151.54
VII	स्टोन बोल्डर्स एवं ब्लास्ट को लादना एवं उतारना			
(i)	प्रति 100 सी0एफ0टी0 लादना अथवा उतारना	$123.00+2.00+5.00+ 2.00+ 5.00+0.51+4.00 =141.51$	1.00	142.51
VIII	आयरनरॉड्स, जी0आई0सीट्स, आयरन पाईप्स, हीयूम पाईप मशीनरीज इक्वीपमेंट्स एवं अन्य हार्ड वेयर्स को लादना अथवा उतारना			
(i)	प्रति रेलवे वैगन-	$1764.00+35.00+71.00+35.00+ 71.00+7.00+ 56.00=2039.00$	18.00	2057.00
(ii)	प्रति टायर वाली गाड़ी ट्रक-	$814.00+16.00+33.00+16.00+ 33.00+3.00+ 26.00=941.00$	8.00	949.00
(iii)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$237.00+5.00+9.00+ 5.00+ 9.00+1.00+8.00 =274.00$	2.00	276.00
(iv)	प्रति बैलगाड़ी	$200.00+4.00+8.00+ 4.00+ 8.00+1.00+6.00 =231.00$	2.00	233.00
IX	कोयला को लादना अथवा उतारना			
(i)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला)-	$712.00+14.00+28.00+14.00+ 28.00+3.00+ 23.00=822.00$	7.00	829.00
(ii)	प्रति ट्रक (200 सी0 एफ0 टी0-)	$443.00+9.00+18.00+ 9.00+ 18.00+2.00+ 14.00=513.00$	4.00	517.00
(iii)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$122.00+2.00+5.00+ 2.00+ 5.00+1.00+4.00=141.00$	1.00	142.00
(iv)	प्रति बैलगाड़ी	$101.00+2.00+4.00+ 2.00+ 4.00+0.42+3.00=116.42$	1.00	117.42
X	चूना, बालू, क्ले (clay) एवं मिट्टी को लादना अथवा उतारना			
(i)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला)-	$557.00+11.00+22.00+11.00+ 22.00+2.00+ 18.00=643.00$	6.00	649.00
(ii)	प्रति ट्रक (200 सी0एफ0 टी0-)	$324.00+6.00+13.00+ 6.00+ 13.00+1.00+ 10.00=373.00$	3.00	376.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

10

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

(iii)	प्रति टायर वाली गाड़ी-	$159.00+3.00+6.00+ 3.00+ 6.00+1.00+5.00=183.00$	2.00	185.00
(iv)	प्रति बैलगाड़ी	$122.00+2.00+5.00+ 2.00+ 5.00+1.00+4.00=141.00$	1.00	142.00
XI	सीमेन्ट बोड़ा को लादना अथवा उतारना			
(i)	प्रति सीमेन्ट बोड़ा को लादना एवं उतारना	$13.00+0.26+0.52+ 0.26+ 0.52+0.05+0.40=15.01$	0.13	15.14
83. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य				
I	विभिन्न प्रकार के लकड़ी के कुन्दे (लोग काटने वाला गिराना फालिंग, डिमार्किंग और कौपिस फोरेस्ट में लादने के स्थान में जमा कराना(पोल) सेलेक्स सर्किल में वृक्ष काटकर गिराना लोजिंग(टोना 4"x5"आदि)प्रति क्यूबिक मीटर	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+ 0.03+0.25= 9.24$	0.08	9.32
II	कनवरसन ऑफ ट्राम लाईन ऐट फेंसिंग पोस्ट- प्रति टुकड़ा	$11.00+0.22+0.44+ 0.22+ 0.44+0.04+0.34 =12.70$	0.11	12.81
III	कटिंग,कनवरसन इन्क्लूडिंग स्ट्रेंकिंग ऐट साईट आफ फायरउड (साईज क्यूबिक मीटर)-	$109.00+2.00+4.00+ 2.00+ 4.00+0.45+3.00=124.45$	1.00	125.45
IV	बॉस काटना एवं एकत्रित करना-			
(i)	लग्गा-प्रति 100	$314.00+6.00+13.00+ 6.00+ 13.00+1.00+ 10.00 =363.00$	3.00	366.00
(ii)	टोना-प्रति 100	$252.00+5.00+10.00+ 5.00+ 10.00+1.00 +8.00=291.00$	3.00	294.00
(iii)	सरही- प्रति 100	$109.00+2.00+4.00+ 2.00+ 4.00+0.45 +3.00=124.45$	1.00	125.45
(iv)	चारकोल मैन्यूफैक्चरिंग- प्रति 35 किलोग्राम का बैग	$79.00+2.00+3.00+ 2.00+ 3.00+0.33+2.00=91.33$	1.00	92.33
(v)	फीडरग्रास, थैच ग्रास या सेवाल ग्रास- प्रति 35 किलोग्राम बैगका-	$79.00+2.00+3.00+ 2.00+ 3.00+0.33+2.00=91.33$	1.00	92.33
(vi)	साल सीड एवं बोनहिनिया पत्ता जमा करना- प्रति किलोग्राम-	$21.00+0.42+0.84+ 0.42+ 0.84+0.08+0.7 = 24.30$	0.21	24.51

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

11

84. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग				
I	पावरलूम वीभर- के लिए और प्रतिमीटर एरीचेक उत्कृष्ट कपड़े के लिए-तथा	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7 = 24.30$	0.21	24.51
	अन्य प्रति मीटर सादे कपड़े-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
II	हैंडलूम वीभर- प्रति मीटर सादे कपड़े के लिए-	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
	प्रति मीटर एरीचेक तथा अन्य उत्कृष्ट कपड़े के लिए-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
	प्रति मीटर तसर, मलवरी, मुंगा कपड़े के लिए-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17+1.00=46.27$	0.41	47.69
III	पिन बाईन्डर-			
(I)	पावरलूम-			
(i)	प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7 = 24.30$	0.21	24.51
(ii)	प्रति किलोग्राम धोने से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
(II)	हैंडलूम-प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13+1.00=38.43$	0.33	38.76
IV	बोविन बाईन्डर-			
(i)	पावरलूम-प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
(ii)	हैंडलूम-प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13+1.00=38.43$	0.33	38.76
V	कटाई-छटाई			
	स्टेपुल (प्रति थान 12 मीटर का सिल्क-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

12

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

85. मिट्टी काटने का कार्य-				
I	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00 = 424.00$	4.00	428.00
II	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00 = 424.00$	4.00	428.00
III	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00 = 424.00$	4.00	428.00
नोट:-महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				
86. चाय बगान का नियोजन				
(i)	तोड़ने वाले 1 किलो ग्राम हरी पत्ती तोड़ने के लिए-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07+1.00 = 20.11$	0.17	20.28
(ii)	कुदाली से खोदने में लगे व्यक्ति-0.133 एकड़ जमीन में 40 नाल तैयार करने के लिए-	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22+2.00 = 61.22$	0.53	61.75
(iii)	मिराई और विसाखन (फोरकिंग में लगे व्यक्ति) प्रति 100 चाय झाड़ी (टी बुश) पर-	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22+2.00 = 61.22$	0.53	61.75
87. लाह निर्माण				
I	कारीगर-प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए-	$221.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00+7.00 = 255.00$	2.00	257.00
II	वेलवर्डिया-प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए-	$190.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00+0.48+6.00 = 220.48$	2.00	222.48
III	फरवर्डिया- प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए-	$115.00+2.00+5.00+2.00+5.00+0.48+4.00 = 133.48$	1.00	134.48
IV	कामीन एवं घोधियाहीन- प्रति 40 किलो सीड लाह की भूसी, मुलम्मा एवं सैंड को निकालने एवं धोने लिए -	$57.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.23+2.00 = 65.23$	1.00	66.23

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

13

V	करहिया, रंगकरहिया, घसंदर एवं मेयनदर—प्रति 40 किलोसीड लाह की धोलाई मसीन से धोने के लिए—	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22+2.00=61.22$	0.53	61.75
VI	टेलर (खलिफा)—			
(i)	(1) जब अपना मसीन व्यवहार करे (प्रति भट्टा) —	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24+0.13+1.00=36.23$	0.31	36.54
(ii)	(2) जब नियोजक का मसीन व्यवहार करे (प्रति भट्टा)—	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
(iii)	क्रशर— प्रति 40 किलो स्टीक लाह—	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
(iv)	ब्रेकर— प्रति 40 किलो स्टीक लाह—	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13+1.00=38.43$	0.33	38.76
88. पावरलूम इन्डस्ट्रीज (बिजली करघा)—				
I	पीक			
(i)	26	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(ii)	28	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(iii)	30	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(iv)	32	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(v)	34	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(vi)	36	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(vii)	40	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

14

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

(viii)	42	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(ix)	44	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(x)	46	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(xi)	48	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(xii)	50	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
(xiii)	52	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
89. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने के नियोजन-				
I	पत्ता तोड़ना प्रति 50000 पत्ते अथवा 1 रु 55 पैसा प्रति 50 पत्ते-	$1344.00+27.00+54.00+27.00+54.00+6.00+43.00=1555.00$	13.00	1568.00
बोरा भरना-				
II	प्रति छोटा बोरा-	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
	प्रति बड़ा बोरा-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17+1.00=47.27$	0.41	47.68
III	ग्रेड में छोटना और बन्डल बनाना प्रतिबिन्डा (5 किलो का)-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17+1.00=47.27$	0.41	47.68

टिप्पणी:-

- (क) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।
- (ख) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

15

- (ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (घ) पुरुष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

सं० 5/एम0डब्लू0-40-16/2021-58/श्र0सं0,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

23 सितम्बर 2025

एस0 ओ0 168 दिनांक 24 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

सं० 5/एम0डब्लू0-40-16/2021-59/श्र0सं0,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

The 23rd September 2025

S.O. 167, Dated 24th September 2025—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2025	143.2	4.63 X4.93 X2.88	9,413.76
February, 2025	142.8	4.63 X4.93 X2.88	9,387.47
March, 2025	143	4.63 X4.93 X2.88	9,400.61
April, 2025	143.5	4.63 X4.93 X2.88	9,433.48
May, 2025	144	4.63 X4.93 X2.88	9,466.35
June, 2025	145	4.63 X4.93 X2.88	9,532.09
			Total:-56633.76
First Half Yearly Average of the year January to June, 2025 $56633.76 \div 6 = 9438.96$			

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

16

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

***Note- Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.10.2025-Notification No-(1659,1660) Dated-28.03.2025; Gazette No.-232 Dated-08.04.2025 & Notification No- (1665,1666) Dated-28.03.2025; Gazette No.-266 Dated- 09.04.2025**

SCHEDULE-I(B)

List of Schedule Non-Agricultural Employment

- (1) Co-operative Sector
- (2) Aluminum Industry
- (3) Khansari industry
- (4) Chemical and Pharmaceutical Industry
- (5) Soap Making Industry
- (6) Cement Pre - stressed product Industry
- (7) Asbestos Cement Industry
- (8) Glass Sheet Industry
- (9) Gun factories
- (10) Religious & Social Institution
- (11) Paper Industry
- (12) Laundries & washing
- (13) Hosieries Manufactory
- (14) Manufacture of Sindur & Rang
- (15) Manufacture of Leather goods
- (16) Wood works & furniture
- (17) Ice Cream and Cold Drinks
- (18) Petrol and Diesel Pump
- (19) Fisheries
- (20) Khadi and Village Industries
- (21) Private Ferries & LTC
- (22) Book binding Industry
- (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board.
- (24) Electronics Industry
- (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry
- (26) Plywood Industries
- (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes
- (28) Foundry Industries
- (29) Rubber and Rubber Compound Industry
- (30) Biscuit Industry
- (31) Coal Briquette Industry
- (32) Tailoring Industry
- (33) Handloom Industry
- (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics
- (35) Distilleries

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

17

- (36) Plastic Industries
- (37) Mineral Grinding Industry
- (38) Glass Industries (excluding glass sheet)
- (39) Dairies and Poultry Farms
- (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design.
- (41) Tanneries Leather Technology
- (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills
- (43) Oil Mills
- (44) Printing Press
- (45) Any Shops or Establishment
- (46) Public Motor Transport
- (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments
- (48) Cold Storage
- (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.)
- (50) Dam Construction & Irrigation
- (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction
- (52) Bakeries and Confectioneries
- (53) Shops selling cooked food stuff
- (54) Hotels Eating Houses and Restaurants
- (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines)
- (56) Cinema industry
- (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions.
- (58) Private Security Agency
- (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry
- (60) Potteries
- (61) Automobile Engineering Shops
- (62) Hard Coke Industry
- (63) Currier Services
- (64) Frittered Rice
- (65) Electro casting and Metal Furnishing
- (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers)
- (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works
- (68) Jute Industry & ancillary works
- (69) Information Technology
- (70) Sales promotion employees
- (71) Domestic Workers
- (72) Papad Industry
- (73) Sailars employment
- (74) Agarbati Industry
- (75) Employment of Sanitation Worker (Excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993)
- (76) Workers employed through outsourcing in government offices

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

18

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

- (77) Workers employed through outsourcing in sugar industry.
(78) Stone Breaking and Stone Crushing Operation
(79) Bidi Making Manufacturing
(80) Brick Manufactory
(81) Hair Cutting Saloon
(82) Loading and Unloading
(83) Forestry and Timbering Operation
(84) Silk Industries including Manufacturing from pure Silk Artificial Silk and other staple Yarn
(85) Earth Cutting Operation
(86) Tea Plantation
(87) Lac Manufactory
(88) Power Loom Industry
(89) Plucking and Processing of Kendu Leave :

SCHEDULE -II

Total rates of wages effective from the date 01.10.2025

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023+01.04.2024+ 01.10.2024+01.04.2025 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2025 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2025 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00+12.00=424.00	4.00	428.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00+8.00 15.00+2.00+12.00=440.00	4.00	444.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+ 9.00+ 19.00+2.00+15.00=536.00	5.00	541.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+ 11.00+23.00+2.00+18.00 =654.00	6.00	660.00 Perday

Note: For domestic employments, the minimum wage rate for one hour of work shall be calculated by dividing the notified daily rate by eight (8). Similarly, the monthly rate shall be computed by multiplying the daily rate by twenty-six (26).

The rates of Variable Dearness Allowance (VDA) shall be based on the average point of the All India Consumer Price Index (AICPI) on which the VDA rates for the aforementioned scheduled employments have been determined/ revised.

In accordance with any increase or decrease in the said index, the minimum wage rates shall be correspondingly increased or decreased from the rate specified in Column-4 of the above schedule, and such adjustment shall be deemed to constitute the component of Variable Dearness Allowance. However, if the index falls below the point at which the

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

19

minimum wage rates were determined/revised, no change shall be made to the determined/revised minimum wage.

The payment of the said Variable Dearness Allowance at the above rate shall be payable with effect from 01 October 2025, based on the average of the AICPI for the period January–June 2025. Thereafter, any increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance shall be implemented three months after the end of each half-yearly period, based on the average AICPI for the respective six-month period.

SCCHEDULE -III List Of Schedule Piece Rate for 12 Employment

78. Stone Breaking & Stone Crushing Operations				
I	Mining & Carrying by Bullock Cart-			
	Piece Work	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 + 01.04+2024+01.10.2024 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2025 (In Rs.)	Total rates ofwages effective from the date 01.04.2025 Column (3+4)
(i)	Within up to quarter mile per 100 Cft-	794.00+16.00+32.00+ 16.00+32.00+3.00+25.00 =918.00	8.00	926.00
(ii)	For every above quarter mile of carrying per 100/- Cft	182.00+4.00+7.00+4.00+ 7.00+1.00+6.00=211.00	2.00	213.00
II	Mining chelly breaking and transport by trolley per tub- of 25ft-	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00 +1.00+6.00=228.00	2.00	230.00
III	Chelly breaker from boulder per 100/-Cft-	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00 +1.00+6.00=228.00	2.00	230.00
IV	Ballast Breaker from boulder- per 100/-Cft-- per 100/- Cft-			
(i)	2"x3"	413.00+8.00+17.00+8.00+ 17.00+2.00+13.00 =478.00	4.00	482.00
(ii)	2"X2-50"	518.00+10.00+21.00+ 10.00+21.00+2.00+13.00 =595.00	5.00	600.00
(iii)	1-50"X2"	616.00+12.00+25.00+ 12.00+25.00+3.00+20.00 =713.00	6.00	719.00
(iv)	1"	1017.00+20.00+41.00+ 20.00+41.00+4.00+32.00 =1175.00	10.00	1185.00
V	Breaking Ballast from telai-Per Box of 5ft-per Box of 5 ft-	67.00+1.00+3.00+1.00+3.00+ 0.28+2.00=77.28	0.70	77.98

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

20

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

VI	Chips Breaker-			
(i)	Hand made chips of 3/4"Dn- per Cft- -	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.11+1.00=38.41$	0.3	38.71
(ii)	Hand made chips of 1" Dn- per Cft- -	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.11+1.00=38.41$	0.3	38.71
VII	Earth Cutting -			
(i)	For soft earth- per 90 Cft-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00=424.00$	4.00	428.00
(ii)	For hard earth per 75 Cft-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00=424.00$	4.00	428.00
(iii)	For highly hand earth- per 60 Cft-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00=424.00$	4.00	428.00
Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-				
VIII	Borers and Drollers per ft-	$49.00+0.98+2.00+1.00+2.00+0.20+2.00=57.18$	0.49	57.67
IX	Mines (Including boulders carrying Head load within a quarter mile-) per 25 Cft.	$239.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00+8.00=278.00$	2.00	280.00
X	Wagon Loaders full head of Board gauges wagon (500 cubic ft-) per Wagon load-	$658.00+13.00+26.00+13.00+26.00+3.00+21.00=750.00$	7.00	757.00
XI	Stone Set (Stone Bricks) Per 100 Pcs. per 100 Pcs-			
(i)	Breaking Size (9"x6"x4")	$814.00+16.00+33.00+16.00+33.00+3.00+26.00=941.00$	8.00	949.00
(ii)	Stone Set (Stone Bricks Polishing) Polishing	$449.00+9.00+18.00+9.00+18.00+1.00+14.00=518.00$	4.00	522.00
(iii)	Stone Set (Stone Bricks Cautting & Transporting) for 3 to 4 mile -	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00=424.00$	4.00	428.00
79. Bidi Making Manufacture :-				
I	Libeling			
(i)	Libeling (Single) per lakh	$449.00+9.00+18.00+9.00+2.00+18.00+2.00+16.00=523.00$	4.00	527.00
(ii)	Libeling (double) per lakh	$466.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00+15.00=539.00$	5.00	544.00
II	Sekai Work-			
(i)	Employees employed in Sekai by any process Bidi Other than Tandoor. Per Lakh Bidi. other than tandoor- per lakh	$216.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00+7.00=250.00$	2.00	252.00
(ii)	Sekai by Tandoor per lakh Bidi	$220.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00+7.00=254.00$	2.00	256.00

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

21

(iii)	Packing (Basket packing) per lakh	225.00+5.00+9.00+5.00+9.00 1.00+7.00=261.00	2.00	263.00
80. Brick Manufactory-				
I Brick Making and Loding Or Unloding.				
(i)	Brick moulders (inclusive of cutting earth, kneading earth, watering earth, carrying earth to parria) per thousand bricks- earth to parria per thousand-	535.00+11.00+21.00+ 11.00+21.00+2.00+17.00= 618.00	5.00	623.00
(ii)	Loading & unloading of Bricks in Bhattha) per 1000 bricks & unsilled Labour per day.	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00+12.00 =424.00	4.00	428.00
81. Hair Cutting Saloon -				
I Piece Work				
(i)	Per Hair Cutting.	51.00+1.00+2.00+1.00+ 2.00+0.21+2.00=59.21	1.00	60.21
(ii)	Per shaving.	17.00+0.34+0.68+0.34+ 0.68+0+.07+1.00=20.11	0.17	20.28
(iii)	Per hair cutting & shaving.	63.00+1.00+3.00+1.00+ 3.00+0.26+2.00=73.26	1.00	74.26
(iv)	Per Sar Mundan	38.00+0.76+1.52+1.00+ 1.20+0.15+1.00= 43.63	0.38	44.01
(v)	Per Hair Cutting of Children.	30.00+0.60+1.20+1.00+ 1.20+0.12+1.00= 35.12	0.30	35.42
(vi)	Per Sar Malish.	13.00+0.26+0.52+0.26+ 0.52+0.05+0.4= 15.11	0.13	15.24
(vii)	Per Shampoo.	30.00+0.60+1.20+1.00+ 1.20+0.12+1.00= 35.12	0.30	35.42
(viii)	Per hair Dying.	148.00+3.00+6.00+3.00+ 6.00+0.62+5.00=171.62	1.00	172.62
82. Loading or Unloading Operation-				
I Loading or Unloading of Bags, Gur Chakkies, Fertilizer bales of cloths, Jute, Cotton etc- tin or drum of Kerosene oil, Mustered Oil, Coconut Oil and other oil, Dalda Malases, Paints tar etc- or any other load, not specified in this schedule from Godown or Shop or storage place to railways wagon, truck, Bullock cart, etc- or from one place to another place and vice -versa for carrying loads every 200 meters or parts there fo per load of. thereof per load of				
(i)	Less than 20 kg-	6.00+0.12+0.24+0.12+ 0.24+0.02+0.2=6.94	0.06	7.00
(ii)	From 20 to 40 Kg-	8.00+0.16+0.32+0.16+ 0.32+0.03+0.25=9.24	0.08	9.32
(iii)	From 41 Kg- to 65 Kg-	10.00+0.20+0.40+0.20+ 0.40+0.04+0.31=11.55	0.1	11.65
(iv)	From 66 Kg- to 85 Kg-	13.00+0.26+0.52+0.26+ 0.52+0.05+0.41=15.02	0.13	15.15
(v)	From 86 Kg- to 100 Kg-	18.00+0.36+0.72+0.36+ 0.72+0.07+1.00=21.23	0.18	21.41

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

22

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

(vi)	From 101 Kg- and above (Rupees for every Two Kg-load over 101 kg.) 101 Kg-)	$71.00+0.44+1.00+$ $0.44+1.00+0.09+0.71$ $= 75.00$	0.71	75.71
II	Filling or weighing or welding of this and drums or arranging of Bags , tins , drums and other loads within the same premises			
(i)	Up to 40 Kg-	$5.00+0.10+0.20+0.10+$ $0.20+0.20+0.16=5.78$	0.05	5.83
(ii)	From 41 Kg- to 65 Kg-	$8.00+0.16+0.32+0.16+$ $0.32+0.03+0.25= 9.24$	0.08	9.32
(iii)	From 66 Kg- to 100 Kg-	$10.00+0.20+0.40+0.20+$ $0.40+0.04+0.31=11.55$	0.10	11.65
(iv)	101 Kg- and above (Rupees for every 10 Kg-load over 101 Kg-)	$23.00+0.46 +1.00+0.46+$ $1.00+ 0.09+0.73= 27.00$	0.23	27.23
(v)	Sewing of Bags of welding of tins or weighing of load above 10Kg- on scale	$5.00+0.10+0.20+0.10+$ $0.20+0.20+0.16= 5.96$	0.05	6.01
III	Loading or Unloading of Bamboo, wooden poles, Wooden logs, fuel wood and sugar cane.			
(i)	Per Railway wagon	$737.00+15.00+29.00+15.00+$ $29.00+3.00+23.00= 851.00$	7.00	858.00
(ii)	Per Truck	$350.00+7.00+14.00+7.00+$ $14.00+1.00+11.00 =404.00$	4.00	408.00
(iii)	Per Tyre cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+$ $4.00+0.42+3.00 =116.42$	1.00	117.42
(iv)	Per bullock cart	$71.00+1.00+3.00+1.00+$ $3.00+0.29+2.00=81.29$	0.71	82.00
(v)	Loding or Unloading of Sugarcane per qental	$13.00+0.26+0.52+0.26+$ $0.52+0.05+0.41=15.02$	0.13	15.15
IV	Loading Or Unloading of tiles, Fragile wares made of cement or clay or glass, Boulders Ballast, chelly and coal-			
(i)	Per railways wagon	$2015.00+40.00+81.00+40.00+$ $81.00+8.46+64.00 =2329.46$	20.00	2349.46
(ii)	Per truck	$875.00+18.00+35.00+18.00+$ $35.00+3.67+ 28.00 =1013.00$	9.00	1022.00
(iii)	Per tyre cart	$253.00+5.00+10.00+ 5.00+$ $10.00+1.00+8.00 =292.00$	3.00	295.00
(iv)	Per bullock cart	$177.00+4.00+7.00+4.00+$ $7.00+1.00+6.00 =206.00$	2.00	208.00
V	Loading Or Unloading of Fire bricks, bricks made of cement or clay or glass.			
(i)	Per railways wagon	$1570.00+31.00+63.00+31.00$ $+63.00+7.00+50.00=1815.00$	16.00	1831.00
(ii)	Per truck	$737.00+15.00+29.00+ 15.00$ $+29.00+3.00+ 23.00=851.00$	7.00	858.00
(iii)	Per tyre cart	$213.00+4.00+9.00+4.00+$ $9.00+0.89+7.00 =246.89$	2.00	248.89

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

23

(iv)	Per bullock cart	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00+0.65+5.00=178.65$	2.00	180.65
VI	Loading Or Unloading of Stone chips & Challi-			
(i)	Loading or Unloading per 100 cft -	$130.00+3.00+5.00+3.00+5.00+0.54+4.00=150.54$	1.00	151.54
VII	Loading Or Unloading of Ballast & Bolders -			
(i)	Loading or Unloading per 100 cft -	$123.00+2.00+5.00+2.00+5.00+0.51+4.00=141.51$	1.00	142.51
VIII	Loading Or Unloading of iron rods, G-I-sheet, Iron Pipes, humepipe, Machineris equipments and other hard wires:-			
(i)	Per railways wagon	$1764.00+35.00+71.00+35.00+71.00+7.00+56.00=2039.00$	18.00	2057.00
(ii)	Per truck	$814.00+16.00+33.00+16.00+33.00+3.00+26.00=941.00$	8.00	949.00
(iii)	Per tyre cart	$237.00+5.00+9.00+5.00+9.00+1.00+8.00=274.00$	2.00	276.00
(iv)	Per bullock cart	$200.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00+6.00=231.00$	2.00	233.00
IX	Loading Or Unloading of coal.			
(i)	Per railways wagon 4 wheel (Wagon of 22 tones capacity).	$712.00+14.00+28.00+14.00+28.00+3.00+23.00=822.00$	7.00	829.00
(ii)	Per truck 200 Cft-	$443.00+9.00+18.00+9.00+18.00+2.00+14.00=513.00$	4.00	517.00
(iii)	Per tyre cart	$122.00+2.00+5.00+2.00+5.00+1.00+4.00=141.00$	1.00	142.00
(iv)	Per bullock cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.42+3.00=116.42$	1.00	117.42
X	Loading Or Unloading of lime and clay and earth etc-			
(i)	Per railways wagon (Wagon of 22 tones capacity)	$557.00+11.00+22.00+11.00+22.00+2.00=625.00$	18.00	643.00
(ii)	Per truck 200 Cft-	$324.00+6.00+13.00+6.00+13.00+1.00=363.00$	10.00	373.00
(iii)	Per tyre cart	$159.00+3.00+6.00+3.00+6.00+1.00=178.00$	5.00	183.00
(iv)	Per bullock cart	$122.00+2.00+5.00+2.00+5.00+1.00=137.00$	4.00	141.00
XI	Loading Or Unloading of cement per bag-			
(i)	Loading Or Unloading of cement per bag	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.52+0.05+0.40=15.01$	0.13	15.14

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

24

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

83. Forestry and Timbering Operation-				
I	Log cutter of various sizes falling demarking and stocking at loading sits at copies forest, pole-(4"x5") Per cubic meter.	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.32+0.03+0.25=9.24$	0.08	9.32
II	Conversion of tram line and fencing post per piece	$11.00+0.22+0.44+0.22+0.44+0.04+0.34=12.70$	0.11	12.81
III	Cutting conversion including Stacking at site of fire wood (size per cubic meter)	$109.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.45+3.00=124.45$	1.00	125.45
IV	Cutting and Collecting of bamboo(including siding).			
(i)	Loggas - Per 100 Pcs.	$314.00+6.00+13.00+6.00+13.00+1.00+10.00=363.00$	3.00	366.00
(ii)	Tonnas - Per 100 Pcs	$252.00+5.00+10.00+5.00+10.00+1.00+8.00=291.00$	3.00	294.00
(iii)	Sorahi - Per 100 Pcs	$109.00+2.00+4.00+2.00+4.00+0.45+3.00=124.45$	1.00	125.45
(iv)	Charcoal Manufactory per bag(35Kg)	$79.00+2.00+3.00+2.00+3.00+0.33+2.00=91.33$	1.00	92.33
(v)	Fidder Grass, or thatch grass or sewal grass (per k.g.)	$79.00+2.00+3.00+2.00+3.00+0.33+2.00=91.33$	1.00	92.33
(vi)	Sal seed & Bonhimia leaves collection (Per kg)	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
84. Silk Industry including Manufacturer from pure silk, artificial silk and other staple yarn-				
I	Power loom weaver Per meter for plain cloth	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
	and per meter for Erimchek & other fine cloth	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
II	Handloom Weaver Per meter for Plain cloth -	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
	Per Meter for erimchek	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
	Per Meter Tusser mulberry and munga cloth-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17+1.00=46.27$	0.41	47.69
III	Pin Wider			
(I)	Power loom			
(i)	prepared for cloth Per Kg- Hank	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(ii)	prepared from care cloth	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
(II)	Handloom per Kg	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13+1.00=38.43$	0.33	38.76

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

25

IV	Bobbin Winder			
(i)	Power loom Per kg if prepared hand cloth-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0+.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
(ii)	Handloom per Kg	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13+1.00=38.43$	0.33	38.76
V	Cutting & Shaping-			
(i)	Stable per than of 12 meter- Silk	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0+.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
85. Earth Cutting Operation.				
(i)	For every 90 cubic ft- of soft earth-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00 =424.00$	4.00	428.00
(ii)	For every 75 cubic ft- of hard earth-	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00 =424.00$	4.00	428.00
(iii)	For every 60 cubic ft- of highly hard earth	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00 =424.00$	4.00	428.00
Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-				
86. Tea Plantation.				
I	Plucker per plucking of one Kg- of green Leaves	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0+.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
II	Person engaged in hocking for preparing 40 nails in a land measuring 0-133 acre-	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22+2.00 =61.22$	0.53	61.75
III	Person engaged in weeding and forking per 100 tea bush-	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22+2.00 =61.22$	0.53	61.75
87. Lac Manufactory.				
I	Karigar - for melting 40Kg- of seed lac-	$221.00+4.00+9.00+4.00+9.00+1.00+7.00=255.00$	2.00	257.00
II	Belwaia - for melting 40Kg- of seed lac-	$190.00+4.00+8.00+4.00+8.00+1.00+0.48+6.00 =220.48$	2.00	222.48
III	Pherwaia - for melting 40Kg- of seed lac-	$115.00+2.00+5.00+2.00+5.00+0.48+4.00=133.48$	1.00	134.48
IV	Kamin & Ghoghiahin - for washing & seperating 40Kg- of seed lac from bhushi, Mullama sand	$57.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.23+2.00=65.23$	1.00	66.23
V	Karahia and RangKharhiya ghasander and Mazandar- for washing of 40 Kg of seed lac through washing Machine—	$53.00+1.00+2.00+1.00+2.00+0.22+2.00 =61.22$	0.53	61.75

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

26

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

VI Tailor (Khalifa)				
(i)	when using own machine-(per Bhatta)-	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24+0.13+1.00=36.23$	0.31	36.54
(ii)	when using employer chine- (per Bhatta)-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68+0.07+1.00=20.11$	0.17	20.28
(iii)	<u>Crusher</u> - per 40Kg- of Stick lac-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
(iv)	<u>Breaker</u> - per 40 Kg- of stick lac-	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32+0.13+1.00=38.43$	0.33	38.76
88. Power loom Industry.				
I	pick			
(i)	26	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(ii)	28	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(iii)	30	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(iv)	32	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(v)	34	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(vi)	36	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(vii)	40	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
(viii)	42	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(ix)	44	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(x)	46	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(xi)	48	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12+0.12+1.00=34.04$	0.30	34.34
(xii)	50	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
(xiii)	52	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20+0.15+1.00=43.63$	0.38	44.01
89. Plucking and Processing-Kendu leaves.				
I	Plucking of leaves per 50,000 leaves or 1.00 Rs 55 paise per 50 leaves-	$1344.00+27.00+54.00+27.00+54.00+6.00+43.00=1555.00$	13.00	1568.00
II	Packing of Bags Per small bags-	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84+0.08+0.7=24.30$	0.21	24.51
	Per big bags-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17+1.00=47.27$	0.41	47.68

VEDIKA CONSULTANCY

(THE RIGHT PLACE FOR SOLUTIONS)

Mumbai & Ahmedabad | 86526 42013 | vedikaconsultancy.in | vedikaconsultancy14@gmail.com

बिहार गजट (असाधारण), 24 सितम्बर 2025

27

III	Grading and bundling per bind of 5 Kg-	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64+0.17+1.00=47.27$	0.41	47.68
-----	--	---	------	-------

Note:-

- The conversion of monthly minimum wages into daily rates shall be obtained by dividing it by 26 and the conversion of daily wage rates into monthly wage rates shall be obtained by multiplying it by 26.
- The above proposed rates of minimum wages include remuneration to workers for the day of rest in a period of seven days.
- For overtime work on the weekly rest day or on any other day, a worker shall be entitled to be paid twice the wages for overtime work at the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum wages Rules, 1951.
- Male and female workers shall be receiving the same rate of wages for the same work or similar type of work.

No-5/ M.W.- 40-16/2021-58/L&R,
By the order of the Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1560-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>